


- 
- (1) कृषि गो सेवा संघ - 1 - 49
(2) भूदान बोर्ड तथा कानून - 50 - 96
(3) ग्राम स्वराज्य शोध - 97 - 122
(4) ग्राम निर्माण योजना - 123 - 132

कृषि - गो - सेवा

<u>सर्व सेवा संघ</u>	<u>स्थान</u>	<u>तारीख</u>	<u>टार्षिक पृ० नंबर</u>
(1) कृ० गो सेवा विभाग के मंत्री राधाकृष्ण बजाज ।	वर्धा	21-10-50	1
(2) "कृषि गो सेवा" विभाग का नाम तय	"	5-1-51	1
(3) गोरस भंडार में मिल् को शक्कर का उपयोग न हो हो ।	"	"	2
(4) 31 मार्च 51 तक को गो सेवा संघ को आर्थिक स्थिति तथा सर्व सेवा संघ में गोसेवा संघ क्लोन करनेवाला प्रस्ताव	शिवरामपल्ली	7-4-51	2
(5) वृंदावन (बिहार) में गो सेवा के लिये 56 हजार स्वीकृत ।	वर्धा	23-11-51	3
(6) कृ० गो सेवा संघ का पूरक बजट ₹ 4500 को स्वीकृत	बजाजवाड़ी	23-7-52	4
(7) गोवध बंदों के बारे में संघ अशो क्यान न है ।	सेवाग्राम	8-10-52	5
(8) दिल्ली का गोरस भंडार संघ न ले	वर्धा	4-2-54	5
(9) कृषि गो सेवा नीति संबंधी अधिवेशन में प्रस्ताव ।	बंगलीर	29-10-60	6

प्रबंध समिति :
=====

(10) कृषि गो सेवा समिति का 31 मार्च 1951 का हिसाब स्वीकृत 85422-7-2 का	शिवरामपल्ली	10-4-51	7-8
(11) बळवंतराव देशपांडे कृषि गो- संघ के उपमंत्रि	बजाजवाड़ी	21-9-51	9
(12) बिहार गो सेवा संघ को पेशगी देने के बारे में संघ तय करे ।	बजाजवाड़ी	10-10-51	9-10
(13) गुंडमुंड पिपरो को जमौनमें से जुद्ध बेची जाय ।	वर्धा	23-1-52	10

(14) बजट 1,01,951 रु का बजट स्वीकृत ।	वर्धा	27-4-52	11
(15) बज्जिकरजी को अपवाद स्वरूप रु 300 वित्तन ।	वर्धा	..	12
(16) फिलहाल 3 माह का बजट स्वीकृत	वर्धा	23-4-53	12
(17) जयपुर गोरसभंडार नुकसान ₹ 8788 1750 मंजूर	सादोग्राम	2-9-53	13
(18) अंकित रकम 9358) नफानुकसान को है वह निधि में जमा की जाय ।	सादो ग्राम	..	14
(19) गोरस भंडार को प्रवृत्ति चलाई जाय	सेवाग्राम	21-9-53	14
(20) दिल्ली गोनसल सुधार योजना के लिये 1500 को सहायता	सेवाग्राम	..	15
(21) बजट 24603-8-0 का स्वीकृत	16
(22) पोपरो केंद्र को पूजा । लाठा 75 हजार 510 को उसको विगत	17
(23) कृषि गो सेवा विभाग 1-1-54 से केंद्रीय } दफ्तर द्वारा चलाया जाय } राधाकृष्ण बजाजकी मंत्रोपद से मुक्ति } दे जाय । } दिल्ली		1-2-53	19
(24) धुलोया के रामेश्वरजल द्वारा रु 3530-7-0 दिये दानका उपयोग धुलोया में ही गोशाला के काम में किया जाय ।	बोधगया	22-4-54	20
(25) शांति कुटो पर जमनालाल जो का स्मारक बनाया जाय ।	मुजफ्फरपुर	28-7-54	21
(26) जैसलमौर में स्थानिक संस्था केंद्र चलावे तो संघ 7 हजार को पूजा दे सकेगा ।	21
(27) वर्धा गोरसभंडार को अपिरेटोव न किया जाय ।	सेवाग्राम	28-11-54	22
(28) राजस्थान गो सेवा संघ स्वतंत्र रजिस्टर हुआ उसको वर्धा का 5 हजार का सामान और खर्च के लिये 3600 दिये जाय ।	सेवाग्राम	..	23

	<u>स्थान</u>	<u>तारीख</u>	<u>टारिफ पृष्ठ नं०</u>
(29) नल सुधार के लिये चार संथाओं की 8500 रु सहायता ।	सेवाग्राम	28-1-54	22 X 23
(30) राजस्थान शासन से मिली रकम में से शेष रकम रु 41987 राजस्थान गो सेवा संघ को दे दी जाय ।	बाकुडा	8-1-55	24
(31) जैसलमेर की उत्पादन के लिये राजस्थान गो सेवा संघ को और सात हजार रुपये सहायता दी जाय ।	ब कुडा	8-1-55	25
(32) ग्राम सेवा मंडल को गोशाला को अंकित निधि में से 5 हजार रुपये सहायता स्वरूप दिये जाय ।	सर्वोदयपुरी	21-3-55	26
(33) ट्रिचूर (अध्रि) में गो सेवा के काम के लिये 5000) स्वीकृत अण्णासाहब वर्हा का काम देखाकर तय करें ।	"	"	26
(34) सेवापुरी के ग्राम सेवा विधालय की गंगातौरी नल सुधार योजना के लिये 3 साल तक वार्षिक 1500 रु स्वीकृत ।	मगनवाडी	28-6-55	27
(35) कृषि गोपालन केंद्र को योजना के लिये राजस्थान गो सेवा संघ को 21 हजार की सहायता ।	बेसवाडा	12-12-55	27
(36) सर्वोदय केंद्र छामेल की एक हजार गाय खरीदके लिये सहायता ।	बेसवाडा	"	28
(37) राजस्थान की श्री परशुरामभाई की कृषि खालबन प्रयोग के लिये 700 रु स्वीकृत ।	"	"	29
(38) 1954-55 ऑडिट रिपोर्ट स्वीकृत	धर्मपुरी	4-8-56	29
(39) अंकित निधि में से राजस्थान गो सेवा संघ के कृषि गोपालन केंद्र दुर्गापुर को 31 हजार की सहायता स्वीकृत	पलनी	19-11-56	30
(40) पिपरी केंद्र को रकमपर व्याज आकारा जाय या नही इसका निर्णय आगे की बैठक में करे ।	"	"	30
(41) श्यामो गो सेवा समिति का गठन 5 व्यक्तियों का संयोजक रु बजाज ।	सेवाग्राम	8-7-57	31
(42) 12 मार्च 1959 में सोकर में कृषि गो सेवा संमेलन में गो सेवा के काम का नया मोड देना तय हुआ ।			

	<u>थान</u>	<u>तारीख</u>	<u>टाईप पृष्ठ नंबर</u>
इसलिये नयी कृषि गो-सेवा समिति 18 व्यक्तियों को अध्यक्ष देबरभाई रा. बजाज,-- उपध्यक्ष, पारनेरकर-मंत्री देशपडि-उपमंत्री ।	बंबई	20-4-59	31
43) पीपरी केंद्र का सर्व प्रधान केंद्र के द्वारा हो चले ।	बंबई	—'—	32
44) गो सेवा चर्मालय का संचालन कृषि गो सेवा समिति करें ।	बंबई	—'—	33
45) खेतों प्रशिक्षण के लिये बात्रवृत्ति दो कार्यकर्ताओं के लिये साल भरमें 960 ₹0 ।	पुसारीड	1-7-59	33
46) गो सेवा ट्रेनिंग का काम शुरू होता ही ती बनवारेसालजो की 1500 तथा रेड्डीजो की 200 तक सहायता दी जाय ।	सेवाग्राम	25-8-59	33
47) गांधी स्मारक निधि के पास कृषि गो सेवा समिति को ओरसे 8, 12, 500 ₹0 की योजना केजो जाय, जिसमें 9 प्रकार के विविध कार्यक्रम ही ।	वारणसी	29-10-59	34
(48) कृषि गो सेवा समिति को रिपोर्ट	सेवाग्राम	19-3-60	35-36
(49) पारनेरकरजो गोसंवर्धन कौन्सिल में जाने के कारण कृषि गो सेवा समिति के मंत्रैपद पर बगन्तल जोशो को नियुक्ती ।	बंगलीर	27-10-60	37-38
(50) गौरस भंडार तथा दूध को कम क्तिग्री के कारण 38971 ₹0 का अतिरिक्त असमंखस्यस्य घटा हुआ उसकी मंजुरी	बंगलीर	" "	38-39
(51) दक्षिण भारत कृषि गो सेवा समिति को दिये पाच हजार अनुदान में दिये जाय ।	सर्वोदयपुरम्	20-4-61	39
(52) गो संवर्धन के प्रश्नों को चर्चा देबरभाई ने उठाये हुए प्रश्नों का विनीबाजो द्वारा जबाब और गोसेवा को दृष्टि पर प्रकाश ।	आरामबाग	23-4-63	40-42

	<u>स्थान</u>	<u>तारीख</u>	<u>टारिफ पृ. नं.</u>
53) कृषि गो सेवा समिति का पुनर्गठन- टेबरभाई अध्यक्ष, रा. बजाज उपाध्यक्ष तीन मंत्री, कुल 50 सदस्यों को समिति गठित ।	आरामबाग	23-4-63	42-44
54) गोवधबंदी अदोशनपर विस्तृत प्रस्ताव प्रभुदत्त ब्रम्हचारी के अन्तर्धान की समिति तथा सरकार से प्रार्थना ।	मधुबनी	15-1-67	44-45
55) अ० भा० कृषि गो सेवा संघ को स्वायत्त संस्था रजिस्टर्ड की गई उसकी स्वीकृति • कानूनी कारवाई प्रबंधक ट्रस्टी करेंगे ।	बाबूरोड	5-6-68	46
56) अ० भा० कृषि गो सेवा संघ का पूरा विधान स्वीकृत	बाबूरोड		46-49
57) कृषि गो सेवा समिति सर्व सेवा संघ को औरसे आगे भी चालू रहेगी 27 सदस्यों को नया समिति ।	सोनीदिवरा		49

= = = = =

— कृषि — गो-सेवा —

प्रस्ताव

...

गो सेवा संघ रजिन० 1)

(वर्धा— 21-10-50) पृ० न० 37

प्रस्ताव न० 1 :-

विभाग के मंत्री राधाकृष्ण बजाज

...

गोसेवा संघ की साधारण सभा ने अपनी तारीख 4-8-50 की बैठक में गो-सेवा संघ को सर्व सेवा संघ में विलीन करने की जो प्रस्ताव किया है वह उपस्थित किया गया । निश्चित हुआ कि गो सेवा संघ को सर्व सेवा संघ में मिला लिया जाय और सर्व सेवा संघ के ट्रस्टी इस बारे में आवश्यक कानूनी दस्तावेज करा लेने का प्रबंध करें । गो सेवा के काम के लिए गो सेवा विभाग बनाया गया और श्री राधाकृष्ण जी बजाज को उस विभाग का मंत्री बनाया गया ।

...

(वर्धा - 5-1-51) पृ० न० 61

प्रस्ताव न० 5 :-

ना म क र ण .

संघ की तारीख 11 अक्टूबर 50 की बैठक के प्रस्ताव न० 1 के अनुसार गो-सेवा के काम के लिए एक विभाग बनाकर उसका नाम गो-सेवा विभाग रखा गया था । अब श्री राधाकृष्णजी ने सुझाया कि 'गो-सेवा और कृषि' अविभाज्य होने से विभाग के नाम से दोनों का उल्लेख रहे । तय हुआ कि इस विभाग का नाम 'कृषि गोसेवा विभाग' रखा जाय ।

.....

/2/

पृ० न० 65

वर्धा- 5-1-51)

प्रस्ताव न० 12 गोरस भंडार में मिला शक्कर से बनी चीजें न रखे
 =====

.....

हमारी संस्थाओं के भंडारों में यंत्र से बनी वस्तुओं के उपयोग और विक्री के बारे में बड़े हुए सवालियों की चर्चा करने की मांग करनेवाला श्री. राधाकृष्ण बजाजा का तारीख 26-12-59 का पत्र पढ़ा गया ।

चर्चा होकर तय किया गया कि —

- (1) गोरस भंडार वर्धा के पेटों में या दूसरी चीजों में मिला की शक्कर का उपयोग न किया जाय ।
- (2) स्वराज्य भंडार (वर्धा) में जीनिंग फॅक्टरी से निकली सरकी (कपास के बिनौले) और मिला की छली बेचने के लिए न रखी जाय । पर कृषि गो-सेवा विभाग की गोशालाओं में तथा गोरस भंडार में जिन का दूध लिया जाता है — उनकी गायों के लिए लगनेवाली सरकी (बिनौले) और छली रखने में बाधा नहीं है ।

.....

(शिवरामपल्ली— 7-4-51)

(सर्व सेवा संघ रजि. न० 1)

पृ० न० 75

प्रस्ताव न० 6 :— 31 मार्च 1951 तक की गो-सेवा संघ की आर्थिक स्थिति
 =====

.....

गो-सेवा संघ के संचालक मंडल की तारीख 25 मार्च 51 की सभा का नीचे लिखा प्रस्ताव न० 5 पेश किया गया और मान्य किया गया :—

•• गो सेवा संघ के संचालक मंडल की सभा का तारीख 8-7-50 का प्रस्ताव न० 2, तथा सर्व साधारण सभा का तारीख 4-8-50 की सभा का प्रस्ताव न० 2 इनके सिलसिलों में सारी परिस्थित का पुनः विचार करके अब संघ की यह सभा गो सेवा संघ की सर्व सेवा संघ में विलीन और मिलाने का अनिर्णय निर्णय

करती है। अतः अब इसके विसर्जन का भी निश्चय करती है। अब गो-सेवा संघ का काम निपटाने की दृष्टि से नीचे लिखे निश्चय किये जाते हैं :—

(क) गो सेवा संघ की धावन जंगम सब जायदाद सर्व सेवा संघ के नाम पर कर दी जाय। व उनकी दे दी जाय। पर यह सारी जायदाद या इसका मूल्य या आमदनी सर्व सेवा संघ में गो सेवा संघ काम के लिए तथा गो सेवा के लिए आवश्यक इतने कृषि काम के लिए अंकित रहेंगी और इस जायदाद में से रुपये एक लाख 100000) पीपरी में छेती, कुएँ, और मकानात के लिए तथा रुपये 250000) पचास हजार ग्राम सेवा मंडल के कृषि गो-सेवा काम के विकास के लिए सुरक्षित रहेंगी। अगर पांच वर्षों तक इन रकमों का उपयोग कामों के लिए न कर सकें तो फिर उन्हें अलग सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं है। दूसरी जायदाद के साथ गो-सेवा के काम के लिए अंकित मानी जायगी।

(ख) सर्व सेवा संघ ने यह गो-सेवा संघ का काम चलाने के लिए कृषि गो सेवा विभाग कायम किया है। इसलिए विषय में तारीख 1 अप्रैल 51 से यह काम सर्व सेवा संघ के मातहत चलेगा। और गो सेवा संघ की ओर से संचलने वाली सब प्रवृत्तियाँ तारीख 2 31 मार्च के बाद बंद हो जायगी। अब गो-सेवा संघ का काम निपटाने के लिए जो कुछ कार्यवाही करना जरूरी हो वह संचालक मंडल कर लें।

.....

(वर्धा— 23-11-51)

पृ० नं० 99

प्रस्ताव नं० 8 :- वृंदावन में गोपालन के लिये 5 हजार स्वीकृत
 =====

श्री. राधाकृष्ण जी, मंत्री, कृषि गो - सेवा संघ विभाग का तारीख 17-11-51 का पत्र उपस्थित किया गया। जिसमें उन्होंने वृंदावन (बिहार) में गोपालन के काम के लिए रु० 5000) देने की जरूरत है ऐसा लिखा है। इसलिए अपनी अतिरिक्त रकम कृषि गो-सेवा विभाग के इस साल के अंदाज-पत्रक में मंजूर करने की मांग की है।

(सर्व सेवा संघ रजि नं० 2)

(बजाजवाडी - 23-7-52)

(पृष्ठ नं० 23)

प्रस्ताव नं० 15 :- पूरक बजट स्वीकृति .

(अ) श्री राधाकृष्ण बजाज, मंत्री, कृषि गोसेवा विभाग ने उस उस विभाग का रु० 4500) का नीचे लिखा पूरक बजट पेश किया ।

750) सर्व सेवा संघ कार्यालय (1952-53 के बजट में माने हुए रु० 1500) के बदले रु० 2250) लगेंगे ।

500) विद्यालय- प्रवास खर्च, विद्यार्थियों का व विशेषज्ञों का

500) शिबिर खर्च, गोपालकी का (ता० 2-10-52) से 12-10-52 पीपरी में)

1500) गो-सेवा समिलन का खर्च (समिलन 13 व 14 अक्टूबर 52 पीपरी में)

1250) तेल धानों प्रचार खर्च ।

4500)

उपर का पूरक बजट मंजूर किया गया ।

टिप्पणी :-

1952 - 53 के मूल बजट में स्वराज्य मंडार की गलत साल की नुकसानी के लिए रु० 3500) मंजूर किये है लेकिन प्रत्यक्ष में नुकसानी 3000) आयी है ।

(आ) स्वराज्य मंडार में हिस्सा रखना तथा उसके लिए रकम 750) नुकसानी मंजूर करना संघ ने अस्वीकार किया ।

.....

(प्रबंध समिति रजि नं० 2)

(सिवाग्राम- 8-10-52)

पृ० नं० 40

प्रस्ताव नं० 7 :- गोवध बंदी के बारे में संघ फिलहाल बयान न दें .
 =====

...

गोवध बंदी संबंधी कृषि गो-सेवा विभाग का परिपत्रित बयान पेश किया गया । आम राय रही कि इस बारे में अभी कोई बयान प्रसिद्ध (प्रकाशित) करने की जरूरत नहीं है ।

.....

(वर्धा — 4-2-54)

पृ० नं० 76

प्रस्ताव नं० 1 :- दिल्लीका गोरस गैडार संघ न लें .
 =====

...

दिल्ली की गोसंवर्धन गोरस गैडार योजना संबंधी संघ के चुने हुए सदस्यों से तथा निर्मात्रता से मूग नवाडों में किदवई जी की हुई बातचीत का सार श्री राधाकृष्णजी ने बताया कि योजना की जिम्मेवारी संघ उठावे तो उस योजना के लिए कानून तथा पैसे की पूरी मदद देने का आश्वासन श्री किदवई जी ने दिया है ।

तय हुआ कि योजना चलाने की जिम्मेवारी संघ न उठावे । तपसिलवाद योजना संघ सरकार की बना दें । योजना अमल में लाने की जिम्मेवारी सरकारी व बिन सरकारी लोगों की स्टेब्यूटरी गोसंवर्धन बोर्ड बनाकर उस पर सौंपी जाय । उसमें मनुष्य देने की यथा शक्ति संघ करे ।

बैठक करीब दोपहर 12 बजे मुत्तवा होकर टाई बजे फिर आरंभ हुई । सुबह के सभी सदस्य तथा निर्मात्र उपस्थित थे ।

.....

(स सेवा संघ रजि नं 3)

पृ० नं० 127-28

(बंगलोर— 29-10-60)

प्रस्ताव नं० 7 :- कृषि - गो-सेवा नीति अधिवेशन प्रस्ताव .
 =====

...

1- संख्या - वृद्धि का प्रश्न :-

जिस तैर्जा से पशु और मनुष्य दोनों की संख्या बढ़ रही है, जमीन उन्हें नहीं संभाल सकेंगी। पशु-संख्या कम करनी होगी। 20 करोड़ पशुओं में करीब 5 करोड़ बकरियाँ हैं, जिन्हें कम कर सकते हैं। गाय-भैस में से, उन स्थानों की ढीठ, जाई अर्थात् के लिए भैस-भैस-भैस भैस, (पाठ) पाले जाते हैं, गाय को ही, जहाँ वह हाकानामिक है, बुस्म बढाया जाय। निकम्मी गाय और सडि घटाने होंगे, जिन्हें बधिया करके उनकी गाभिन न होने देकर फटाया जा सकता है। लोक-शिक्षण द्वारा गाय के दूध का महत्व समझाया जाय। गाय-भैस के दूध का मूल्य समान होना चाहिए। दूध की कीमत सिर्फ घी पर नहीं, प्रोटीन पर है। आरोग्य की दृष्टि से गाय का सर्व कम चिकनाई का दूध अच्छा है। 4 प्रतिशत चिकनाई और 8 प्रतिशत प्रोटीन आदि वाला दूध स्टैंडर्ड माना जाय।

दूध का गाव तय करते समय उत्पादक, उपभोक्ता और पशु तीनों का ही रखा जाय। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच किमतों में कम-से-कम अंतर अंतर रहे।

2- यंत्रों की मर्यादा :-

मनुष्य और पशु-शक्ति के बाद भी यंत्रों का उपयोग ही और वे सामूहिक गाव को मालिकों के ही। कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग किसानों और किसान लडाके की ही। नौकरों के लिए नहीं, व्यवसाय या उपयोग स्वयं चलाने की दृष्टि से ही। वैज्ञानिक ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। ग्राम संरूप और ग्राम के आधार पर गो-वैश का विकास होना चाहिए।

.....

— कृषि - गो-सेवा —

प्रस्ताव .

(प्रबंध समिति रजि नं० 1)

(शिवरामपल्ली-10-4-51)

पृ० नं० 9

प्रस्ताव नं० 1 :- कृ० गो० से० समिति का 31 मार्च 51 का हिसाब स्वीकृत

जैसा कि पहले ही तय हुआ था, गो सेवा संघ ने सर्व सेवा संघ के कृषि गो सेवा विभाग के नाते 1 अप्रैल 51 से बाकायदा काम शुरू कर दिया है। गो सेवा संघ का 31 मार्च 1951 तक का ऑडिट किया हुआ नीचे लिखा हिसाब श्री राधाकृष्णनजी, मंत्री, कृषि गो सेवा विभाग ने पेश किया, उसको नोंद ली गयी :-

गो सेवा संघ का 31 मार्च 1951 तक का हिसाब

648738=15=2	श्री साधारण फंड	234550 -8-0	अस्टेट
94224-	श्री गो सेवा चर्मलिय निधि खाते सर्वानी नस		90472-1-2 पीपरी अस्टेट
2500 0	सुधार पुरस्कार		36332-1-1 गुंडमुंड अस्टेट
97,	श्री गोशाला फेडरेशन खाते .		14084-0-0 चींचली खेती
1064-14-2	श्री तरतुद निधि खाते		8210-12-0 चांदमारी खेती
962-5-2	श्री संघ तरतुद निधि खाते		38558-12-2 शांति कुटीर अमारत
30770-1-2	श्री गोसदन इंडाला खाते जमा .		43077- 9-1 चर्मलिय अमारत
40000-	श्री नस सुधार योजना राजस्थान	155674-8-2	3006-14-3 स्थायी सामान
12636-13-1	श्री राजस्थान शाखा खाते जमा		897-0-1 पुस्तकालय
893=8=0	श्री अमानत खाते		234550-8-1
106-6-2	श्री सरकी टैप खाते जमा		88439-13-1 पीपरी गोशाला
	854484-5-2		29493-00-1 चर्मलिय विभाग
			14475-13-2 गौरस भंडार
			1272 -2 पुस्तक खरोदी
			532-15-0 लला हरदेव सहाय प्रकाशन
			8334-03-0 अाजलय खाते
			7626-11-3 तैल खानी समिति
			5500-0-0 स्वराज्य भंडार वर्ध

(बजाजवाडी- 21-9-51)

पृ० नं० 16

प्रस्ताव नं० 3 :-

=====

श्री. बलवंतराव देशपडि को कृषि - गो-सेवा
विभाग का उपमंत्री बनाया गया ।

.....

(बजाजवाडी- 10-10-51)

पृ० नं० 17

प्रस्ताव नं० 3 :- बिहार गो-सेवा संघ की पेशगी देने के बारे में

=====

=====

...

श्री. रामदेव ठाकूर, मंत्री- गो-सेवा संघ (बिहार) ने अपने ता० 7-9-51 के पत्र में वृंदावन (चंपारन) के गो-सेवा के काम के लिये पचि हजार रुपये की, पेशगी के रूप में कृषि गो सेवा विभाग से मांगि की थी। उस पर विचार किया गया । श्री. राधाकृष्णजी ने वहाँ की सारी परिस्थिति बतायी । कानून की वजह से वहाँ का ट्रस्ट अलग है लेकिन वास्तव में वह हमारे मार्गदर्शन में काम करता है और ट्रस्ट मंत्री हमारे में से ट्रस्टी चुने गये है।

तय हुआ कि श्रै ही वह ट्रस्ट हमारे मार्गदर्शन में काम करता हो फिर भी कानून वह स्वतंत्र ट्रस्ट ही है । इसी हालत में पेशगी के रूप में भी पैसे दिये जाय या नहीं इसमें सर्व सेवा संघ की नीति का सवाल पैदा होता है । जिसलिये इस बारे में संघ की नीति का निर्णय संघ की अगली बैठक में कर लिया जाय ।

.....

/4/

(वर्धा - 23-11-51)

पृ० न० 19

प्रस्ताव न० 2 :- वृंदावन बिहार में गो-सेवा के लिये 5000/-
=====

...

श्री. राधाकृष्णजी, मंत्री कृषि गो सेवा विभाग का
 ता० 17-11-51 का पत्र उपस्थित किया गया । जिसमें उन्होंने वृंदावन (बिहार)
 में गोपालन के काम के लिये ₹ 5000, देने की जरूरत है इसलिये उतनी अतिरिक्त
 रकम कृषि गो-सेवा विभाग के जिस साल के अंदाज पत्रक में मंजूर करने की मांग
 की थी ।

उनकी मांग मंजूर की गयी ।

.....

(वर्धा- 23-1-52)

पृ० न० 23

प्रस्ताव न० 11 :- गुंड मुंड पिपरी जमीन में से कुछ जमीन बेची जाय .
=====

..

संघ के कृषि गो-सेवा विभाग की जो जमीन गुंड मुंड
 और पिपरी में है उसमें से बिन जरूरी जमीन बेचने आदि की अिजाजत श्री
 राधाकृष्णजीने मांगी । मांग के अनुसार अिजाजत दी गयी ।

.....

/5/

(वर्धा - 27-4-52)

पृ० न० 36

प्रस्ताव न० 7 :- बजट स्वीकृत .
 =====

रु 100000 जमा का और रु 70451 चालू खर्च अधिक रुपये 31500 के स्थायी खर्च जैसे कुल रु 101951 का बजट पेश किया गया । और मंजूर किया गया ।

75000 गांधी स्मारक निधि के सहायता .

25000 गो सेवा संघ के अंकित निधिसे .

चालू खर्च 70451,

शेती गो शाला पिपरी विद्यालय व प्रयोग

2295, 18000

औषधालय देशी कार्यालय प्रादेशिक मंत्री .

2000, 100000, 21000,

नसल सुधार गो सेवा चर्मालय तेल समिति

10000, 2156 3500

सर्व सेवा संघ दफ्तर , गोरस मंडार

1500

घी योजना गुडमुंड

स्थायी खर्च 31500

पीपरी मकान पिपरी कुआ पीपरी फिसींग ऑजिन सामान

15000, 2000, 2000, 1000

पीपरी गंस प्लान्ट गुडमुंड मकान , शांति कुटीर

बिजली फिटिंग आदि बर्दही चूरा करने के लिये

4000

डिसमिटी गैटर

1000,

100000,

कुल जोड ..

101951,

/6/

(वर्धा- 27-4-52)

(पृ० नं० 36)

प्रस्ताव नं० 8 :- श्लजेकरजी की अपवाद स्वरूप 300 रु० वेतन .

...

श्री. राधाकृष्णजी मंत्री कृषि गो-सेवा भाग ने श्री. ब्र. श्लजेकर नाम के नये कार्यकर्ता को रु० 300 मासिक वेतन पर नियुक्त करने के लिये मिजाजत मांगी ।

श्री. श्लजेकर गो-सेवा के तज्ञ है और विद्यालय के प्रिंसिपल होने की योग्यता रखते है । आज करकारी नौकरी में है । हमारी कार्य पध्दति में वे ठीक तरह से बैठ सकेंगे और रु० 300, से कम में उनका चलनेवाला नहीं है जिस तरह की जानकारी श्री. राधाकृष्णजी ने दी ।

तय हुआ कि सर्व सेवा संघ की वेतन मर्यादा रु० 200 होते हुअे भी अपवाद के तौर पर राधाकृष्णजी की मांग की मिजाजत दी जाती है ।

.....

(वर्धा- 23-4-53)

पृ० नं० 68

प्रस्ताव नं० 31 :- बजट स्वीकृत

कृषि गो सेवा विभाग के 1953-54 के बजट के बारे में विचार करके तय किया गया कि संघ के कार्यानुसार विभाग बंद करने का संघ ने तय किया है । यह देखते हुअे कृषि गो सेवा विभाग का क्या क्या काम चालू रहेगा यह निश्चित हुअे बिना कौसी बजट मंजूर करना संभव नहीं है । इसलिये अभी तीन माह तकके लिए भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों को चालू रखने के लिये कार्यकर्ताओं के वेतन आदि किमान बातों का खर्च मंजूर किया जाय । इस विभाग के आगे के स्वास्थ्य को ध्यान तथा उसके बजट का निर्णय पुनरचना समिति करें ।

/7/

टीप :-

- (1) तीन माह तकके वेतन आदि के अलावा ऐसी कौड़ी चीज हो जिनको जिन तीन महीने में ही कर लेना जरूरी हो उसके लिये भी मंजूरी मानी जाय ।
- (2) बिजली से चलनेवाले बोन क्लेशर का समावेश बजट में है । जिसपर चर्चा हुई । और आखीर में तय हुआ कि हमारे साधन जैसे हो जिनका देहाती में भी अनुकरण किया जा सके । और बिजली से चलनेवाला बोन क्लेशर वैसा साधन नहीं है । जिसलिये उसका उपयोग हम न करें । बोन डायजेक्टर काही उपयोग और प्रचार करें । जोकि किसी भी देहात में चलाया जा सकता है ।

.....

(खादीग्राम— 29-53)

पृ० नं० 80

प्रस्ताव नं० 16 :- जयपुर गोरस भंडार डूबन +64 1760 ₹० स्वीकृत

%%%%%%%

तय हुआ कि जयपुर गोरस भंडार के व्यवहार में जो ₹० 1766-13-9 (सत्रह सौ क्रियासठ रुपये तेरा आने नौ पाई) मात्र ग्रामीन्धोग भंडार, जयपुर की ओर लेना रहा, वह वसूल हीना अब संभव नहीं है । जिसलिये डूबत में लिखा जाय ।

.....

(आदी ग्राम- 2-9-53)

पृ० न० 80

प्रस्ताव न० 17 :- गो सेवा संघ हिसाब में से 9358 ₹ की अंकित रकम

अलग न रहे .

...

1952-53 के संघ के ऑडिटेड हिसाब में गोरस भंडार , वर्धा के नाम से अंकित रकम ₹ 9,538-9-3 दिखलाई गयी है, यह रकम पिछले पांच-छः सालों का नफा-नुकसान मिलाकर बनी है, और उसका उपयोग गोरस भंडार की स्वावलंबी संस्था का रूप देने में करने का निरादा है, ऐसा श्री. राधा, कृष्णजी ने बताया ।

चूंकि गोरस भंडार यह कृषि गो सेवा विभाग की ही प्रवृत्ति है और संघ के भिन्न भिन्न विभागों का नफा नुकसान संघ के हिसाब में ही आ जाना चाहिये, जिसलिये इस तरह अंकित रकम दिखलाना हिसाब की दृष्टि से अचित नही है, ऐसी कमी सदस्यों की राय रही ।

परंतु विशेष अुद्देश से यह रकम अंकित रूची गयी है, यह ध्यान में लेते हुये तय हुआ कि किस साल के हिसाब में वह रकम अंकित रूचने की इजाजत दी जाती है । 30-4-54 तक उसका अपेक्षित विनियोग कर लेना चाहिये । अन्यथा वह रकम संघ के हिसाब में मिला दी जाय ।

.....

(सेवाग्राम - 21-9-53)

(पृ० न० 85)

प्रस्ताव न० 11 :- गोरस भंडार चलाये जाय :-

सर्व सेवा संघ ने अन्न-वस्त्र केन्द्रित ब्रं सुदयोग बहिष्कार का व्रत लेने के लिये आम जनता को अपील की है उसकी अमल में लाने में आम जनता की सहूलियत ही, जिसलिये जगह जगह गो- सेवा संघ ने ग्रामीदयोग वस्तु भंडार खोलना जरूरी है ।

यद्यपि यह संघ की आम नीति है कि संचालित केन्द्र के बजाय जन-केन्द्र ढाँढे करने की कौशिश की जाय । तथापि अन्न-वस्त्र केन्द्रित

/9/

बहिष्कार का यह अभी आरंभ ही है । यह देखाति हुआ तय हुआ कि
संघ की ओरसे भी ग्रामोदयोग वस्तु भंडार चलाये जाय ।

जहाँ संभव हो वहाँ गोरस भंडार भी खोले जाय ।

.....

(सेवाग्राम - 21-9-53)

(पृ० न० 115)

प्रस्ताव न० 29 :- दिल्ली गो-नस्ल सुधार में 1500 रु० सहायता
=====

...

श्री. राधाकृष्णजी का ता० 24-9-53 का नीचे लिखा
छते पेश किया गया ।

श्री. राधाकृष्णजी अजाज की दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के
अन्तर्मंत्री श्री. किदवाजी के साथ दिल्ली गोरस भंडार गो-नस्ल सुधार योजना
बाजत जो बातचीत हुई थी उसकी जानकारी प्रबंध समिति को खादी ग्राम में
दी गयी थी । दिल्ली शहर की रोजाना 500 से 1000 मण गो धूद पुरवठा
करने की व्यवस्था कैसे की जा सकती है व उसके साथ दिल्ली के आसपास के
देहातों में गो-नस्ल सुधार कैसे किया जा सकता है जिसका सर्वे करने का
सोचा गया है । यह काम दो तीन मास चलेगा व उसमें 4-5 आदमी काम
करेंगे । उनके वेतन, ऑफिस खर्च, सफर खर्च आदि के लिये 1000 से
1500 रुपया खर्चा होगा । अतः रु० 1500) की जिस काम के लिये मंजूरी
की जाय ।

तय हुआ कि उपर की रु० 1500) की मांग की स्वीकृति
दी जाय ।

.....

(सेवाग्राम - 21-9-53)

(पृष्ठ नं० 127)

प्रस्ताव नं० 45 :- बजट स्वीकृत .

प्रबंध समिति के ता० 29-4-53 के प्रस्ताव नं० 31 के अनुसार कृषि गो सेवा विभाग का भी बजट तीन माह का मंजूर किया था । बाद में चूंकि पुनः रचना समिति का निर्णय नहीं हुआ था जिसलिये श्री० ऊ० व० सहस्त्रबुद्धे जी ने अपने अधिकार में और दो माह का बजट मंजूर किया था ।

पुनः रचना समिति के निर्णयानुसार अब पीपरी के शिक्षण प्रवृत्ति का बजट सेवाग्राम के विद्यालय में समिलित किया गया है, अन्य प्रवृत्तियों का बजट आज पीपरी केंद्र के बजट के सम में नीचे लिखे अनुसार पेश किया गया ।

कुल खर्च निम्न लिखित अनुसार रहेगा

....

(1) दैतन	18,562/-
(2) किराया	1,600/-
(3) डाक स्टेशनरी	1100/-
(4) फुटकर, अतिथ, औषधि, वाहतुक	2,090/-
(5) कुल अन्य खर्च	1,251-8-0
	<hr/>
कुल खर्च	24,603-8-0
आय-	20,700-0-0
	<hr/>
कच्चा घटा -	7,452-0-0
	<hr/>

कच्चा मुनाफ़ यवतमाल तथा नालवाडी के ड्र का मिलाकर 3548-8-0 निकालने के बाद प्रत्यक्ष घटा 3903-8-0 रहेगा ।

/11/

आज पीपरी केंद्र के तरफ से गो-सेवा चर्मालय नालवाडी में चलाया जाता है। इसी चर्मालय की यतवमाल तथा नागपूर में आज तक शाखा रही है। नागपूर की शाखा नागपूर विभाग की सुपूर्द कर दी गयी है। अन्य प्रवृत्तियाँ पीपरी केंद्र के मातहत ही रहेंगी।

पीपरी केंद्र और उसके मातहत चलनेवाले केंद्रों में मिलाकर नीचे लिखे अनुसार मौजूदा पूंजी है।

(1) कच्चा चमड़ा तथा तयार माल	34,350/-
(2) सामान औजार	60,270/-
(3) किताब तथा लायब्ररी	6,340/-
(4) पशुवन	35,780/-
(5) मकान किराया	6,770/-
(6) अनाज, तथा दाने का स्टॉक	30,000/-
(7) पार्किंग मटेरियल	2,000/-

=====

1,75,510=

=====

व्यवहार में कुल घाटा 3903-8,0 का रहेगा और वह नालवाडी गो - सेवा चर्मालय तथा पीपरी केंद्रों में मिलाकर होगा। अन्य सारी प्रवृत्तियाँ न नुकसान में रहेंगी न मुनाफा में करेंगी। इस 3903-8-0 घाटे के अलावा खेती औजारों का प्रदर्शन तथा सुन में दिलचस्पी रखनेवालों का सम्मेलन करने के दृष्टि से योजना पेश की गयी जिसके लिये 7500) खर्च की माँग की गयी। नसल सुधार के लिये 5000) खर्च जिस साल होगा और पंजर पोल का खर्च 1000) का रहेगा। यह सारी रकमें निकालकर पीपरी केंद्र का कुल घाटा 17,403-8-0 का होगा।

/12/

नजी पंजी की मांग
 ==X=====X=====X==

...

सामान 4000)

ढोती सुधार 1000)

गैस खॉट 1000)

=====

कुल रू 6000)

सुकूत बजट मंजूर किया गया ।

.....

/13/

अध स मिति रजि न० 2)

(दिल्ली— 1-12-53)

पृ० न० 3

प्रस्ताव न० 8 :- कृषि गो-सेवा विभाग विभाग बंद .

राधाकृष्ण बजाज मंत्रीपद से

मुक्त .

..

बंगाली हरिजन पत्रिका के लिए ₹ 4869) मदद की मांग करनेवाला श्री. सुधीरचंद लाहा का तारीख 10-11-53 का पत्र पेश किया गया। गांधी निधि की मदद के उपरान्त भी उसमें नुकसान होता है तो उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जाय और श्री. धीरेन्द्रभाई तथा बंगाल भूदान समिति के संयोजक श्री. जाल्द्वन्द्य भंडारा से उस पत्रिका की भूदान कार्य के लिए उपयोगिता के बारे में राय लेकर फिर से सोचने के लिए रखा जाय।

....

(दिल्ली—1-12-53)

पृ० न० 3

प्रस्ताव न० 9 :- केन्द्रीय दफ्तर द्वारा कृषि गो- सेवा विभाग का संचालन

..

सर्व सेवा संघ की तारीख 27-4-53 की बैठक के प्रस्ताव न० 16 के अनुसार कृषि गो-सेवा विभाग का काम तारीख 1 जनवरी 1954 से बंद किया जाय और उक्त विभाग के मंत्री श्री. राधाकृष्णजी बजाज की मंत्री पद से मुक्त किया जाय।

। जनवरी 1954 से कृषि गो सेवा के काम का संचालन संघ के केन्द्रीय दफ्तर के द्वारा किया जाय।

.....

(मगनवाडी- 6-2-54)

पृष्ठ नं० 11

प्रस्ताव नं० 15 :- गायके धी पर कार्यकर्ता को डेट रु० सेरकी कूट

...

तार का हिसाब देते समय तार की रसीद तथा मजबूत दौनी होना जरूरी है । इस आशय के पुराने प्रस्ताव पर फिर से चर्चा होकर तय हुआ कि ऑडिट की दृष्टि से रसीद और मजबूत दौनी होना जरूरी है । इसलिए कौशिश यही की जाय कि वे दौनी हो । फिर भी किसी कारण वह संभव न हो तब केवल रसीद ही तो उसके साथ किस आशय का मजबूत या किस बारे में तार किया था यह लिखा जाय और केवल मजबूत ही तो उसपर दफ्तर की स्वीकृति लिखवाकर हिसाब में दिया जाय ।

.....

(बोधगया- 22-4-54)

(पृष्ठ नं० 13)

प्रस्ताव नं० 3:- रामेश्वर पीददार के दान का उपयोग .

%%%%%

श्री रामेश्वर जी पीददार धूलिया द्वारा स्वर्गीय जमनालाल जी के स्मारक के बतौर गो-सेवा के लिए दी गई हयरमार्क रकम रु० 3530-7-0 आज उनके पास है । उक्त रकम की जमीन उनसे लेकर सर्व सेवा संघ उन्हें जिम्मेवारी से मुक्त करे इस आशय के तारीख 19-3-54 के उनके पत्र का सारांश श्री कृष्णदास जी जाजू ने बताया । विचार विनिमय के बाद तय हुआ कि श्री राधाकृष्ण जी बजाज इस संबंधी उचित कार्यवाही करें और उस जमीन या रकम का विनियोग धूलिया की गोशाला या अन्य गो-सेवा के काम में करें ।

.....

(मुजफ्फरपुर— 28-7-54)

(पृष्ठ नं० 18)

प्रस्ताव :- चर्चा :- शांतिकुटी गैपुरीपर जमनालालजी का स्मारक बनाया जाय
 =====

...

पिछली बैठक में जो प्रस्ताव हुए थे उनके अमल के बारे में मंत्री ने जो टिप्पणी पेश की उस पर चर्चा आरंभ हुई। चर्चा का सारांश निम्न प्रकार है :-

(क) काकावाडी तथा शांति कुटीर की बीच की जमीन के बाबत श्री. धीत्रेजी ने सुझाया कि श्री. जमनालालजी का उस जगह स्मारक करने बाबत जो बातचीत कुछ वर्ष पूर्व चल रही थी उस बाबत आगे कार्यवाही की जाय। तब हुआ कि श्री. राधाकृष्णजी इस बारे में सोचकर सुझाव पेश करें।

(ख) सर्व सेवा संघ का दफ्तर गया में ले जाने के बारे में जो प्रबंध समिति की तारीख 22-4-54 की बोधगया की बैठक में प्रस्ताव नं० 10 हुआ उस बाबत राय रही कि दफ्तर का स्थान बदलने का अधिकार सर्व सेवा संघ की है, प्रबंध समिति की नहीं। इसलिए सर्व सेवा संघ की अगली बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया जाय, तब तक संघ का वर्धा का दफ्तर केन्द्रित दफ्तर माना जाय और गया का दफ्तर केप दफ्तर माना जाय।

.....

(पृष्ठ नं० 36)

(मुजफ्फरपुर— 28-7-54)

प्रस्ताव नं० 19 :- जैसलमेर में स्थानीय संस्था की केन्द्र चलावे तो 7 हजार की
 =====
 पूंजी दे सकते हैं।

.....

राजस्थान के जैसलमेर प्रदेश में गायों का की काफी मात्रा में होता है लेकिन वहाँ ग्राहक न होने की वजह से वह बिकता नहीं है। परिणाम स्वस्थ गायों के पालन की ओर लोगों का ध्यान कम होता जा रहा है और गायों की दुर्दशा होती है। वहाँ पैदा होनेवाला धी खरीद कर अन्य

अन्य स्थानों में भेजने से गायों की गिरती हुई स्थिति सुधरेगी और गोरस-प्रवृत्तियों के लिए गाय का की मिलने में सुविधा होगी इस दृष्टि से वहाँ एक छोटा सा धी केंद्र खोलने का सुझाव तथा उसका बजट श्री. राधाकृष्णजी ने पेश किया ।

तय हुआ कि, संघ की नीति अब संचालित केंद्र चलाने की नहीं है, इसलिए वहाँ की किसी संस्था के द्वारा यह काम करवाया जाय। उस संस्था की ओर से पूँजी के लिए माँग आवे तो रुपये सात हजार तक की पूँजी कर्ज के रूप में देने का अधिकार मंत्री को दिया जाय ।

.....

(सेवाग्राम- 28-11-54)

पृ० नं० 47

प्रस्ताव नं० 11 :- वर्धा गोरस शंभार को की-आपरेटिव न किया जाय .

..

गोरस शंभार को सहकारी बनाने के संबंध में योजना पेश करने के लिए प्रबंध समिति की तारीख 6-9-53 की बैठक में श्री. राधाकृष्ण बजाज को कहा गया था उसके अनुसार उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की । उन्होंने बताया कि गोरस शंभार के द्वारा केवल गाय के ही दूध का प्रचार करना स्थानीय नसल को सुधार करना, उसे सर्वांगी बनाना, गौसाई नसल का प्रयोग करना आदि बातों का नियंत्रण की आपरेटिव करने के बाद संघ के हाथ में नहीं रह सकता । उनकी इस राय के बारे में विचार भेद रहा, फिर भी सबकी सहमति से गोरस शंभार को सहकारी बनाने का विचार छोड़ दिया गया ।

(सेवाग्राम- 28-11-79) (पृष्ठ नं० 48)

प्रस्ताव नं० 13 :- राजस्थान गोसेवा संघ :-

राजस्थान गोसेवा संघ अब स्वतंत्र रजिस्टर्ड संस्था हो गई है । इसलिए अब सर्व सेवा संघ की राजस्थान में अपनी ओरसे कोई शाखा रखाने की जरूरत नहीं है, उसे स्वतंत्र कर दिया जाय व राजस्थान गोसेवा संघ की ₹ 5000) सामान आदि के लिए व ₹ 3600) गत वर्ष खर्च के पीटे मदद रूप में दिए जावें ।

चर्चा :- सर्वोदय - योजना संशोधन समिति

सर्वोदय योजना संशोधन समिति के बारे में चर्चा हुई । सबकी यह राय रही कि "सर्वोदय ज्ञान" का संशोधन करके जल्दी से जल्दी सर्वोदय समाज के रखना का पूरा चित्र तथा उसकी योजना बनाकर प्रकाशित की जाय ।

(सेवाग्राम- 28-11-54) (पृष्ठ नं० 55 X)

प्रस्ताव नं० 34 :- नस्ल सुधार के लिये चार संस्थाओं की सहायता 8500₹

जिन संस्थाओं के पास गोसंवर्धन के लिए आवश्यक जमीन, मकानात आदि की व्यवस्था है, जो स्थानीय नस्ल-नस्ल को सर्वांगी बनाने की दृष्टि से संघ की नीति के अनुसार गोसंवर्धन करना चाहती है और जिनके कार्य चला सकने की शक्ति के संबन्ध में संघ की विश्वास हो जाय ऐसी संस्थाओं को गाये, तथा सड़ि छरिदिने की लिए और कार्यकर्ता खर्च के लिए मदद दी जाय । यह नीति श्री राधाकृष्णजी ने सुझायी और उसके अनुसार निम्न चार संस्थाओं को ₹ 8500) रकम देना तय हुआ ।

- (1) राष्ट्रीय शाला, अजीला (मध्यप्रदेश)
- (2) महारीगी सेवा समिति ()
- (3) राष्ट्रीय शाला कामगाव ()
- (4) राजस्थान छादी संघ छादी विद्यालय, शिवदासपुरा, जयपुर

गायों तथा सॉडों के लिए रु 4900)

एक कार्यकर्ता का मासिक रु 100)

के हिसाब से 3 साल का खर्च 3600)

कुल . .

=====
8500)
=====

संस्थाओं की मदों में हेरफेर करने का अधिकार रहेगा ।

पर इमारती में खर्च नहीं कर सकेंगे ।

(बाकुंठा— 8-1-55)

(पृष्ठ नं० 63)

प्रस्ताव नं० 9 :- राजस्थान सरकारसे प्राप्त गोसेवा दान में से शेष रकम

41987 रु राजस्थान गो सेवा संघ को

.....

राजस्थान सरकार की ओर से गोसदन, इन्द्रपुरी, सवाईमाधीपुर के काम के लिए रु 63040) और गो नसल सुधार के लिए रु 40000 रु (सय्ये चालीस हजार) राजस्थान गोसेवा संघ को मिले थे । यह रकम 1952 में मिली थी । राजस्थान गो सेवा संघ उस समय स्वतंत्र रजिस्टर्ड संस्था नहीं थी । इस कारण रकम यहाँ गो सेवा संघ में जमा रूठी । क्लिनीकरण के साथ वह रकम सर्व सेवा संघ में आयी है । इस रकम में से रु 42264-5-3 गो सदन के काम में खर्च हो चुके हैं और रु 18787-12-0 गो नसल सुधार में खर्च हो गये हैं बाकी रकम रु 41987-14-9 बचते हैं ।

/19/

अब राजस्थान गो सेवा संघ स्वतंत्र रजिस्टर्ड हो गया है इसलिए यह रकम उनके पास जमा देने का प्रश्न उठता है। आज तक सारा खर्च उनकी के माफ़त हुआ है और आज भी वे ही खर्च कर रहे हैं इसलिए तय हुआ कि अंकित निधि में से उपर्युक्त ₹ 41987-14-9 राजस्थान गो सेवा संघ को दिए जायें।

(ब्राह्मण - 8-1-55)

(पृष्ठ नं० 66)

प्रस्ताव नं० :- 16 :- जैसलमेर की योजना को 7000 की सहायता

प्रयोग स्वस्थ तथा व्रतधारियों आदि की सुविधा के लिए इस दृष्टि से राजस्थान जैसलमेर में की उत्पादन केंद्र के लिए समूचे सात हजार ब-तौर पूंजी के कर्ज देना सर्व सेवा संघ प्रबंध समिति की मुजफ्फरपुर के बैठक के प्रस्ताव नं० 19 में स्वीकार हुआ था।

लेकिन अनुभव से देखा गया कि इतने छोटे पैमाने पर काम चलाना कठिन है। खर्च भी नहीं मिल-निभेगा। इस कारण वह काम प्रारंभ नहीं हो सका यदि यह रकम मदद रूप में मिल जाती है तो उसके आधार पर कुछ कर्ज लिया जा सकता है और काम आगे बढ़ सकता है। अतः इस कर्ज को गो सेवा अंकित निधि से मदद रूप दी जाय ऐसा श्री राधाकृष्ण बजाज ने सुझाया है।

तय हुआ कि राजस्थान गो सेवा संघ को जैसलमेर की उ उत्पादन के लिए गो सेवा अंकित निधि से सात हजार रूपये सहायता दी जाय।

.....

(सर्वोदयपुरी - 21-3-55)

(पृष्ठ नं० 79)

प्रस्ताव नं० 13:-गो-सेवा अंकित में से ग्राम सेवा मंडल गौशाला को5 हजार सहायता .

...

श्री. राधाकृष्ण बजाज ने बतलाया कि गो-सेवा संघ का जब सर्व सेवा वर्ष में क्लिनीकरण हुआ तब ग्राम सेवा मंडल, नलवाडी (वर्धा) के कृषि गो-सेवा काम के विकास के लिए ₹ 25000) तक ग्राम सेवा मंडल की आवश्यकता नुसार देने की दृष्टि से अंकित निधि के रूप में यह रकम अलग निकाली गई थी। यह रकम भी पांच साल में उनकी मांग के अनुसार दे दी जाय ऐसी शर्त क्लिनीकरण के प्रस्ताव में ही रखी गई थी। उसके अनुसार श्री. राधाकृष्ण बजाज ने ग्राम सेवा मंडल, नलवाडी (वर्धा), की तरफ से ₹ 5000) की मांग पेश की। उस पर विचार लेकर तय हुआ कि :-

₹ 5000) की रकम ग्राम सेवा मंडल की कृषि गो-सेवा विकास के लिए उपरोक्त अंकित निधि से दी जाय।

....

(सर्वोदयपुरी - 21-3-55)

(पृष्ठ नं० 81)

प्रस्ताव नं० 20 :-अश्रि सर्वोदय संघ तिरुचूर को गो-सेवा के लिए ₹ 5000की सहायता

...

अश्रि सर्वोदय संघ, तिरुचूर को तरफ से गो-सेवा काम के लिए ₹ 5000) की मदद मिली ऐसी मांग आयी है।

तय हुआ कि इस संस्था का काम श्री. अण्णा साहब देवी और उन्हें संतोष ही जाय ती मदद दी जाय।

.....

(मगनवाडी- 28-6-55)

(पृष्ठ नं० 94)

प्रस्ताव नं० 15 :- गोनसल सुधार के लिये सेवापुरी की 3 साल तक वार्षिक

1500 सहायता

ग्राम सेवा विद्यालय सेवापुरी की ओर से आयी हुई गंगातीरी नस सुधार की योजना पर विचार हुआ । तय हुआ कि सेवापुरी के श्री. गांधी आश्रम ग्राम सेवा विद्यालय को तीन साल तक वार्षिक कर० (1500) की मदद गो-सेवा अंकित निधि से निम्न प्रकार खर्च के लिए की जाय :-

कार्यकर्ता वेतन	1000)
सिद्ध का चारा	500)
		=====
		1500)
		=====

.....

(बैजवाडा , -12-12-55)

(पृष्ठ नं० 124)

प्रस्ताव नं० 31 :- राजस्थान गो सेवा संघ की 21000 सहायता .

=====

%%%%%

राजस्थान गो-सेवा संघ की ओरसे आयी हुई 'कृषि गोपालन केन्द्र' की योजना पेश हुअयी । राजस्थान में एक नमून का कृषि एवं गोसंवर्धन केन्द्र तथा तत्संबंधी शिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए 5 साल की यह योजना राजस्थान गो-सेवा संघ ने भेजी है और उसमें संघ की मदद चाही है । कुल योजना र० (137500) की है । प्रबंध समिति की यह राय रही कि इस प्रकार की योजना गांधी निधि या स्थानीय सरकार के पास भेजनी चाहिए । परंतु राजस्थान में जो गो-सेवा कार्य की संचालना है उसकी देखते हुए प्रारंभिक मदद के तौर पर, जमीन कुर्जी आदि के लिए सहायता संघ से की जाय तथा संघ की योजना के अनुसार गो-सेवा

केंद्रों की गाँवों की खरीद तथा कार्यकर्ता वेतन के लिए दी जानेवाली सहायता दी जाय ।

अतः यह तय हुआ कि राजस्थान गौ सेवा संघ को उसके

'कृषि गोपालन केंद्र' के निमित्त नीचे लिखी सहायता दी जाय ।

(1) जमीन खरीद तथा कुई निर्माण आदि के लिए 16000)

(2) 20 गाँवों की खरीद के लिए प्रति गाँव ₹ 250) से 5000)

21000)

(3) एक कार्यकर्ता का वेतन मासिक ₹ 125) तक तीन वर्ष के लिए ।

....

(बिस्ववाहा- 12-12-55)

पृ० न० 125

प्रस्ताव न० 33 :-

सर्वोदय केंद्र सीमेल की गोसेवा सहायता ।

श्री. राधाकृष्ण बजाज ने बतलाया कि गत वर्ष सर्वोदय केंद्र सीमेल की गाँवों की खरीद के लिए योजनानुसार एक हजार रुपये सहायता की रकम भेजी गई थी । पर उस समय वहाँ गोपालन का कार्य हाथ में न लिया जा सकने के कारण वह रकम वापस आ गई । अब केंद्र की ओर से इस रकम की मांग आयी है । तय हुआ कि सर्वोदय केंद्र सीमेल की गाँवों की खरीद के लिए एक हजार रुपया (1000) मात्र सहायता स्वल्प दिया जाय ।

.....

/23/

(बैसवाडा- 12-12-55)

पृ० न० 125

प्रस्ताव न० 34:- शिवदासपुरामें परशुराम की गो-सेवा सहायता रु० 700

शिवदासपुरा आदी विद्यालय(राजस्थान) में एक भाई श्री परशुराम कृषि क्षेत्री से स्वाक्लंबन का प्रयोग कर रहे हैं। बाहर से वे अन्य कोई सहायता नहीं ले रहे हैं। प्रयोग का पहला ही वर्ष होने के कारण तथा इस साल अतिवृष्टि से फसल कुछ खराब होने के कारण तथा निवास के लिए एक झोपड़ी बनाने के लिए इन भाई ने राजस्थान समग्र सेवा संघ के मार्फत सूताजलि की रकम में से सहायता की मांग की है। तब हुआ कि सूताजलि से प्राप्त रकम में से रु० 700) स्पष्टा सात सौ सहायता दी जाय।

.....

(धर्मपुरी- 4-8-56)

पृ० न० 163

प्रस्ताव न० 7 :- 1954-55 के ऑडिट रिपोर्ट की मंजूरी :-

सर्व सेवा संघ की सन् 1954-55 की ऑडिट रिपोर्ट मैसर्स कै० कै० माणकेश्वर स्था की० नागपुर ने तारीख 19 मार्च 1956 को दी। वह संघ के सारे सदस्यों को परिपक्व की गई थी। प्रबंध समिति की बैठक में उक्त ऑडिटेड रिपोर्ट फिर से सदस्यों को दिखाई गई और वक्त-वक्त वह मंजूर की गई है ऐसा निर्णय लिया गया।

कृषि गोपालन केन्द्र, दुर्गापुरा(राजस्था की ओर से श्री बलवंत सिंह जी का रु० 25000) के अनुदान के मांग का तारीख 30-5-56 का पत्र पेश किया गया। चर्चा के दरम्यान यह बताया गया कि केन्द्र को प्रबंध समिति की तारीख 15 दिसंबर 1955 की बैठक के प्रस्ताव से रु० 21000) मंजूर किये हैं। जब संघ के पास राजस्थान गोसेवा संघ की कोई अंकित निधि भी नहीं है। संघ गांधी स्मारक निधि आदि से आर्थिक सहायता लेकर ओरी की अनुदान दे, यह नीति कहाँ तक ठीक है? उक्त केन्द्र स्वयं ही सीधा गांधी स्मारक निधि आदि संस्थाओं से आर्थिक सहायता क्यों न प्राप्त करें? चूंकि राधाकृष्णजी से ^{इस} यह विषय संबंधित जानकारी है है इसलिये इसका निर्णय उनकी उपस्थिति में आगामी बैठक में लिया जाय।

/24/

(पलनी-19-11-56)

पू०न० 181

(19-11-56)

प्रस्ताव न० 17 :- राजस्थान गी०से०संघकी 31 हजार अनुदान .

राजस्थान गोसेवा संघ के कृषि गोपालन केन्द्र, दुर्गापुर की ओर से श्री क्लवन्तसिंहजी के (रु 31000) के अनुदान की मांग के तारीख 30-5-56 के पत्र पर निर्णय लेना धर्मपुरी प्रबंध समिति की बैठक में श्री राधाकृष्णजी की अनुपस्थिति के कारण अगित रखा गया था। वह फिर से पेश किया गया। विचार होकर तय हुआ कि उक्त केन्द्र को (रु 31000) हजार का अनुदान गो-सेवा संघ की अंकित निधि में से दिया जाय।

= = = = =

पू०न० 182

प्रस्ताव न० 18 :- पिपरी केन्द्र पर ब्याज लगाने संबंधी

श्री राधाकृष्ण जी ने बताया कि कृषि गो सेवा केन्द्र पीपरी के 55-56 साल के छर्च में विभाग के काम में लगी हुई पूंजी पर ब्याज रु 3622 और मकान किराये का 1572) दोनों मिस्रकार रु 5194) का नया छर्च जोड़ा गया है। जो पहले नहीं जोड़ा जाता था। उक्त केन्द्र का काम खादी काम की तरह व्याजसायिक न होकर विकास का काम है, इसलिए उसमें ब्याज किराया छर्च जोड़ना उचित नहीं है।

श्री सिद्धराज जी ने बताया कि, खादी, ग्रामींदयोग, कृषि गो-पालन, शिक्षण आदि संघ की सारी प्रवृत्तियों में सामान्य नियम अमल में लाने की दृष्टि से इस साल उक्त छर्च जोड़े गये हैं। गो-सेवा संघ के सर्व सेवा संघ में क्लिप्त हो जाने के बाद भी पिछले कुछ वर्षों में गलती से कृषि-गो-सेवा के केन्द्रों पर वह छर्च नहीं लगाया गया था और इस वर्ष वह कमी दुरुस्त ही गई है। नियम में परिवर्तन करना ही तो वह प्रबंध समिति सोचे। तय हुआ कि इस बारे में आगामी मीटिंग में निर्णय लिया जाय।

= = = = =

/25/

श्री सेवा समिति रजि० न० 3)

(सेवाग्राम- 8-7-57)

पृ० न० 38

प्रस्ताव न० 9 :- गौ - सेवा समिति गठन

श्री जानकीदेवी बजाज ने कहा कि जिस प्रकार संघ ने देश में चल रहे खादी ग्रामीणयोगों के काम का मार्गदर्शन करने के लिये खादी-ग्रामीणयोग समिति बनाई है उसी प्रकार अब जब कि ग्रामदान के बाद ग्राम निर्माण का काम भी जगह-जगह उठाया जा रहा है तब गौ-सुधार इत्यादि के काम में मार्गदर्शन करने के लिये संघ की सक्रिय रूप से सोचना चाहिये। चर्चा के बाद इस संबंध में नीचे लिखे अनुसार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

“ग्रामदान के बाद गावों के पुनर्निर्माण के काम में तथा गरीबी की आर्थिक रचना में गौ-सुधार और पशु-पालन का बड़ा महत्त्व है। यह काम श्रम सुधार का एक आवश्यक अंग है। सर्व सेवा संघ की ओर से नीचे लिखे सदस्यों की एक स्थायी गौ-सेवा समिति रहे जो इन कार्यों के बारे में विचार तथा मार्गदर्शन करे।

- (1) श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- (2) श्री आर. श्री धीत्रि.
- (3) श्री जानकी देवी बजाज.
- (4) श्री ब० सा० देशपट्टि.
- (5) श्री राधाकृष्ण बजाज (संयोजक)

= = . = = = = =

(बंबई— 20-4-59)

पृ० न० 148

प्रस्ताव न० 9 :- कृषि गौ सेवा समिति

=====

चालीस गांव की प्रस्ताव के अनुसार कृषि गौ सेवा के काम की नया मांड देने के सिलसिले में ता० 12 से 25 मार्च तक श्री विनीबाजी की उपस्थिति में कृषि गौ- सेवा सम्मेलन, सीकर (राजस्थान) में हुआ। सम्मेलन की कार्यवाही, और वही स्वीकृत निवेदन तथा समिति के गठन संबंधी उसकी सिफारिश विचारार्थ पेश की गई। सम्मेलन द्वारा सुझाई गई नीचे लिखे सदस्यों की कृषि-

/26/

गो-सेवा समिति गठन की गई :-

- | | |
|--------------------------------------|--|
| (1) श्री टैबर भाई, अध्यक्ष . | 10) श्री मानसिंह भाई |
| (2) श्री राधाकृष्ण बजाज, उपाध्यक्ष . | 11) श्री शिवशंकर राव्ल |
| (3) श्री यमोपारनेरकर, मंत्री . | 12) श्री वमोचुरडे |
| (4) श्री बलवंतराव देशपांडे, सहमंत्री | 13) श्री अम्बासाहब . |
| (5) श्री बद्रीनारायण सीठानी, " | 14) श्री रामेश्वर अग्रवाल . |
| (6) श्री श्रीमन्नारायणजी | 15) श्री कृष्णप्पाजी उप कृषि
मंत्री भारत सरकार. |
| (7) श्री तन्नाम्लजी | 16) श्री कमलनयन बजाज . |
| (8) श्री जानकीदेवोषी | 17) श्री परमेश्वरी प्रसाद गुप्त . |
| (9) श्री धीरेन्द्रभाई | 18) श्री बलजैकारजी . |

समिति में अधिक सदस्य बढ़ाने के बारे में चर्चा हुई । उस समय यह विचार सामने आया कि संघ के विधान में जो नया बदल हो रहा है उसकी देखकर ही नये सदस्य लेना ठीक होगा । इसलिये तय हुआ कि सीकर सम्मेलन में प्रस्तावित सदस्यों की ही समिति अभी मान्य रहे और उसे आवश्यकतानुसार नये सदस्य बढ़ाने का सर्व कार्यासमिति बनाने का अधिकार दिया जाय । समिति अपने काम व संचालन के बारे में कुछ नियम बनाये जो अन्य समितियों के संचालन के लिये भी अनुकरणीय हो । श्री टैबरभाई से निवेदन किया गया कि वे श्री विनोबा जी की सलाह से जैसे नियम बनायें ।

== == == == == ==

(बंबई— 20-4-59)

पृ० न० 148

प्रस्ताव न० 10 :- पीपरी केन्द्र का सर्व प्रधान केन्द्र से चले

पीपरी के कृषि-गो-सेवा केन्द्र कार्य की भी ग्राम-स्वराज्य की दिशा में नया मोड़ देने का प्रयत्न हो । पीपरी का प्रयोग जन आधारित नहीं होगा, इसलिये उसका सर्व पूर्ववत् जनरल (प्रसामान्य निधि) से जारी रखा जाय और कृषि-गो-सेवा समिति इसका संचालन करे ।

/27/

(द्विबर्ष- 20-4-59)

पृ० न० 148

प्रस्ताव न० 11 :- गो सेवा चर्मालय क० गो० सेवा समिति चलावे :-

सीकर सम्मेलन में श्री विनोबाजी तथा श्री गोपालराव वासुजकर की उपस्थिति में चर्मालय के संबंध में जो चर्चा हुई, उसकी जानकारी श्री राधाकृष्ण ने दी। और यह भी बताया कि इस बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। चर्चा होकर तय हुआ कि गो-सेवा चर्मालय की स्थापना गो-सेवा समिति इसका संचालन करे और जी-सेवा की दृष्टि से आगे किस तरह से चलाया जाय, वह तय करें।

= = = = =

(पूसा रोड- 1-7-59)

पृष्ठ न० 181

प्रस्ताव न० 8 :- खेती प्रशिक्षण बात्रवृत्ति

खेती कार्यकर्ता प्रशिक्षण विद्यालयों में कृषि शिक्षक वही ही जिन्होंने अपने हाथ से खेती करके स्वावलंबन का सफल प्रयोग किया है। इस विचार के मुताबिक श्री बनवारी लाल चौधरी और श्री गोविन्द रेड्डी के पास कुछ कार्यकर्ताओं को सालभर कृषि शिक्षण के लिए भेजने के बारे में चर्चा होकर निश्चय हुआ कि इस संबंध में निर्माण समिति आखिरी तौर पर कुछ योजना व नीति तय करें। फिलहाल श्री बनवारी लाल चौधरी के पास दो कार्यकर्ताओं को भेजा गया है उनको रू० 40 प्रति व्यक्ति प्रति मास के हिसाब से वर्ष भर के लिए रुपये 960) बात्रवृत्ति दी गई।

= = = = =

(सेवाग्राम- 25-8-59)

पृ० न० 191

प्रस्ताव न० 9 :- खेती प्रशिक्षण बात्रवृत्ति

ग्रामदानी गांवों में निर्माण काम के लिए कृषि के जानकार कार्यकर्ताओं की विशेष जरूरत होती है। अतः ऐसे कार्यकर्ताओं को कृषि या प्रयोगिक और शास्त्रीय ज्ञान देने की कुछ व्यवस्था की जा सके तो वह उपयुक्त होगा। श्री धीरेन्द्रभार्य व श्री अण्णासाहब ने इस प्रकार की ट्रेनिंग की कहीं अनुकूलता ही

सकती है इसकी कुछ कार्यकर्ताओं से चर्चा की थी। श्री बनवारीलालजी चौधरी और श्री गोविन्द रेड्डी (चावठा) ने इस प्रकार की ट्रेनिंग देने की अपनी तैयारी बताई। जो कार्यकर्ता ट्रेनिंग के लिए जाय उन्हें निवास, भोजन की व्यवस्था वगैरह की दृष्टि से कुछ छात्र-वृत्ति दी जाय तथा छेती के लिए व निवास की व्यवस्था की दृष्टि से साधन वगैरह के लिए परिशिष्ट कुछ सहायता दी जाय। तय किया गया कि 15 तक छात्रों के लिए 40) ₹0 प्रति माह, प्रति व्यक्ति के हिसाब से एक वर्ष के लिए ₹0 1700) तक की छात्रवृत्ति दी जा सकती है तथा साधन, निवास के शेष, वगैरह के लिए श्री बनवारी लालजी चौधरी के आग्रह की ₹0 1500) तक की तथा श्री रेड्डीजी की ₹0 2000) तक की सहायता दी जा सकती है।

=====

(वारणसी— 29-10-59)

पृ० न० 212

प्रस्ताव न० 15 :-

कृ० गो० से० समिति की 8 लाखकी योजना गांधी निधि के

पास भेजी जाय

श्री राधाकृष्ण बजाज ने कृषि गो सेवा समिति की ओर से भेजी गई गांधी स्मारक निधि से सहायता प्राप्त करने संबंधी योजना को जानकारी कराई, जिसमें गोरस भंडार, नस सुधार, बकड़ी पालन, सडि-निर्माण, चारा व्यवस्था, गो-विद्यालय, पशु-चिकित्सालय व कृषि-सुधार प्रयोग, और प्रादेशिक संगठक रखने वगैरह के 9 कार्यक्रम थे। पांच वर्ष के खर्च के लिये ₹0 812500) की मांग की गई है। तय किया गया कि योजना गांधी स्मारक निधि की प्रबंध समिति की सिफारिश के साथ भेज दी जाय।

=====

संघ समिति रजि० न० 4)

(सेवाग्राम-- 19-3-60)

पृ० न० 27

प्रस्ताव न० 24 :-
=====

कृषि गो सेवा ===== समिति की रिपोर्ट

गो-सेवा समिति का कार्य भारत के सांस्कृतिक सामाजिक और आर्थिक नवरचना के अनुसन्धान में सींचा जाना चाहिये । गाय की उपयोगिता को ध्यान में रूकते हुये अर्थात् उसकी सेवा के जरिए प्राणिमात्र के प्रति कल्याण भाव जागृत करने की दृष्टि से गौवंश को मानव-समाज में अपने परिवार में अभिन्न स्थान दिया है । और उसे अवध्य माना है । भारत का यह कदम मानव जाति के लिए संस्कार वृद्धि के क्षेत्र में अनुष्म था ।

जन संख्या की वृद्धि एवं जमीन की कमी के कारण भारत के लोग स्वयं ही जब तकलीफें में है उनकी ओर से गो-सेवा की अपेक्षा करना मुश्किल माना जाता है । लेकिन हमें समझना चाहिये कि जैसे बिना खेती भारत की आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती, उसी प्रकार बिना गाय भारत की खेती नहीं हो सकती व भारत का स्वास्थ्य सुधरेगा । भारतीय भूमि को जीतने के लिए जिस शक्ति की जरूरत है वह बैल से ही प्राप्त हो सकती है । ट्रैक्टर का उपयोग सीमित मात्रा में ही सकता है लेकिन सारी खेती ट्रैक्टर से करनी हो तो न उतने ट्रैक्टरों की गुंजाईश है और न सम्भावना है ।

भारत में जितनी जमीन है जितना चारा पैदा किया जा सकता है उसकी देहति हुये यह वांछनीय नहीं है कि खेती के लिये बैल और दूध के लिये ब्रैस दी दी पशु रहे भले ही भौस व्यक्तिगत दृष्टि से लाभदायक लगती हो दी प्रकार के पशुओं का बोझ उठाना सम्भव नहीं होगा । इसीलिये उसी नस्ल को बढावा दिया जाय जिससे बैल अच्छे हो और दूध भी अधिक हो सके । पशुओं की संख्या कम रहे और अच्छे ही पशु पैदा हो इसके लिये रद्दी सांडों की बधिया किया जाय और स्-कट्रील बिर्डिंग ही ।

इन बातों में हमारा दिमाग साफ हो जाय तो ध्यान में आयेगा कि गायों की बढावा देने में गाय की रक्षा तो होगी ही हमारी की रक्षा होगी। गाय की बढावा देने का अर्थ है उसकी पालन और नस्ल सुधार में हमारी शक्ति लगाना ।

/30/

इसलिए जरूरी है कि इस आयोजन में गाय की उन्नति के लिए स्पष्ट हो। भारत में आज गायों की जो स्थिति है उसके तीन भाग किये जा सकते हैं।

- (क) जिन प्रदेशों में गाय आज भी अधिक ढाँचें में ढाँची है जैसे राजस्थान, गुजरात (सौराष्ट्र), मालवा, हरियाणा आदि भागों में वहाँ केवल गाय की ही बढ़ाया जाय। बैस का विस्तार न हो।
- (ख) जिन प्रदेशों में गाय या बैस दोनों ही अच्छी स्थिति में नहीं है वहाँ गाय की आगे लाने का यत्न किया जाय जैसे—आसाम, उड़ीसा, बंगाल आदि।
- (ङ) जहाँ गाय और बैस में प्रतियोगिता चल रही है, वहाँ गाय की संरक्षण दिया जाय। यानि सरकारी मदद गाय की ही दी जाय। अन्य भी जो ढाँचें जरूरी ही की जाय।

गाय और मनुष्य दोनों का निर्वाह तभी हो सकता है जब हम कृषि आयोजन में अनाज (क्रोप प्लानिंग) के साथ साथ चारे का भी (फ़ीडर-प्लानिंग) का भी आयोजन करें और देश में जहाँ जहाँ भी चारे के साथ न उपलब्ध हो उनका ठीक ढंग से उपयोग करें। मिक्स फ़ार्मिंग को बढ़ावा दें।

छेती की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिये साथ साथ पशुओं के खाद का सम्पूर्ण उपयोग करना ही होगा। इसलिए ईंधन का प्रश्न हल करने के लिये बैस प्लैट की ओर ध्यान देना होगा।

मृत पशु के चमड़े, हड्डी, सींग आदि का पूरा उपयोग करने के लिए चमलियाँ की व्यवस्था ही।

जो पशुधन निस्स्वयं बन गये है उसका भार कम करने के लिये गो-सदनों की योजना हो। गाय के दूध-के के मार्केट को हानि पहुँचानेवाले जमाये तेल, विदेशी मिल्क पाउडर जैसी चीजों पर रोक लगनी चाहिए।

ग्राम स्वराज्य के संदर्भ में आज आवश्यक है कि कृषि गोपालन खादी ग्रामीण्य और नई तांती इन पाँचों की समर्प दृष्टि से चलाया जाय। जहाँ एक प्रवृत्ति मुख्य हो वहाँ अन्य प्रवृत्तियाँ भी प्रतीकात्मक रूप से चलनी चाहिए, तभी हमारे हर काम की प्रतिष्ठा मिलेगी। हमारा काम समाज में परिवर्तन

/31/

लाने का है। अतः कोई काम लोक सम्मति के बिना आज के समय में नहीं होना चाहिए, अतः व्यापक लोक-शिक्षण की योजना होनी चाहिए। हर रचनात्मक केंद्र में कम से कम एक गाय तथा एक साँड़ रखकर इस काम का आरम्भ किया जा सकता है। कार्यकर्तागण घर तथा केंद्र में गाय के ही मूत्र, दूध के इस्तेमाल का आग्रह रखकर गो-सेवा में सहायक हो सकते हैं।

यह भी खुशी की बात है कि शासन भी इस कार्य में समिति की सहानुभूति के साथ सहायता दे रहा है। समिति का काम है कि वह शासन विशेषज्ञ और जनता के बीच कड़ी बनकर सबको जोड़ दें।

== == == == ==

(बंगलोर-27-10-60)

पृ० नं० 82

प्रस्ताव नं० 16 :- कृषि गो सेवा मंत्री नियुक्ति •

समिति के अध्यक्ष श्री टैबलरार्ड ने गो-सेवा समिति के काम की जानकारी कराते हुए बताया कि राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में गायें बड़ी संख्या में हैं तथा वहाँ ध्यान देने पर काफी काम होनेवाला है। इसलिए वहाँ का संगठन मजबूत बना लिया गया है। राजस्थान में तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक भैंस का बड़ा ब्रीडिंग फार्म उल्लिना तय हुआ था। उसे रोक दिया गया है। उसके बदले राजस्थान सरकार ने बीकानेर विभाग में गोपालन की एक बड़ी योजना बनाई गई है।

गुजरात में अभी अक्टूबर में ही नया संगठन बनाया गया है। अहमदाबाद में दूध का काम म्युनिसिपैलिटी के अधीन है। वहाँ गायों का दूध फ्रैट परसेंट से लिया जाता है। इस कारण गो-दूध के दाम बहुत कम मिलते हैं। प्रयत्न किया जा रहा है कि इस पद्धति में परिवर्तन हो तथा गो-दूध का भाव भैंस के दूध के बराबर मिले। राजकोट तथा आनन्द में गाय की जगह भैंस का प्रवेश बीछ के वर्षों में हो गया। उस स्थिति के बदलने का प्रयत्न किया जा रहा है।

दूसरा काम गो-संवर्धन कौंसिल के पुनर्गठन का हुआ है। श्री टेंबर भाई ने बताया कि इस बारे में वे श्री विनोबाजी से मिले थे। उन्होंने तीन बातें बताई थीं :- (1) गो संवर्धन कौंसिल सर्व सेवा संघ की नीति को मान्य करे। (2) गाय और बैस के दूध के दाम समान मिले और गाय को बढ़ाया जाय ऐसा उसका कार्यक्रम ही। एक सैक्रेटरी हमारा और एक सैक्रेटरी सरकारी हो। यह तीनों बातें मान्य करा ली गई है। भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री एस० के० पाटिल इस कार्य में पूरा सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने संसद में भी जाहिर किया कि कृषि गो सेवा कार्य वगैरह जन-संपर्क के नहीं हो सकता तथा जन-संपर्क गैर सरकारी संस्था ही अधिक कर सकती है। प्लानिंग कमीशन ने भी तय किया है कि कृषि और गो-सेवा का समुलित विचार करेंगे।

वधकिगोसेवा काम के बारे में श्री टेंबर भाई ने कहा कि उनकी रूपना है कि वर्धा कृषि, गोपालन, पशु चिकित्सा और चर्मालय के शिक्षण की पूरी व्यवस्था हो जिसमें अद्यतन विज्ञान का उपयोग किया जाय। प्रबंध काम करनेवाली किसानों के लिए थोड़े समय का रिप्रेसर कोर्स चलाया जाय तथा परिपूर्ण ज्ञान के लिए कृषि-गोसंवर्धन कालेज रहे, जिसके अन्तर्गत गोरस भंडार, पीपरी गोशाला और चर्मालय तीनों कर दिए जायें। इस प्रसंग पर श्री अण्णासाहेब ने कहा कि अभी रोवाग्राम में पैंतीस गांवों के किसानों की सभा हुई थी। उन लोगों ने दो-तीन माह के अल्पकालीन कोर्स की मांग की और वे चाहते हैं कि शिक्षण का अध्यासक्रम भी ही बनायेंगे। श्री टेंबर भाई ने इसमें अपनी सहमती प्रगट की।

श्री टेंबरभाई ने बताया कि सर्व सेवा संघ की कृषि गो-सेवा समिति के मंत्री श्री एसने पारनेकरजी के गोसंवर्धन कौंसिल में जाने के कारण कृषि गो सेवा समिति के मंत्री के रिक्त स्थान पर श्री हगन्लाल जोशी की नियुक्ति की गई। प्रबंध समिति ने इसकी स्वीकृति दी।

(बंगलोर- 27-10-60)

पृ० न० 84

प्रस्ताव न० 22 :- कृषि गो-सेवा समिति की बजट से अतिरिक्त खर्च

कृषि- गो सेवा समिति के गोरस भंडार, वर्धा के अन्तर्गत दूध का उत्पादन बहुत अधिक होने और शहर में सारे दूध की बिक्री न हो सकने के कारण

समिति को 1959-60 में स्मर्यें 38971-48 का बजट के अतिरिक्त षाटा सहना पडा । चर्चा होकर तय हुआ कि नये मोड के हदिक में अन्य संस्थाओं की तरह कृषि गो सेवा समिति को भी विचार करना चाहिए और वर्धा के काम का क्या लक्ष्य है उससे हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं और उस प्रयोग का क्या क्रम होगा इत्यादि पूरी निश्चित योजना प्रबंध समिति के सामने रखनी चाहिए ।

== == == ==

(सर्वादयपुरम- 20-4-61)

पृ० न० 138

प्रस्ताव न० 10 :-

द० भारत कृ० गो० स० को अनुदान

दक्षिण भारत कृषि गो-सेवा समिति को सर्व सेवा संघ ने पच हजार स्मर्ये कर्ज के स्म में दिए थे । गांधी स्मारक निधि या अन्य कही से यह रकम प्राप्त करके सर्व सेवा संघ का यह कर्ज वापिस करने की बात थी । लेकिन इस रकम की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है इसलिए यह कर्ज सर्व सेवा संघ अनुदान के स्म में उन्हें दे ऐसी उनकी मांग है । द्रष्टी मंडल ने भी अनुदान देने की सिफारिश की है ।

तय हुआ कि उक्त रकम कर्ज के मद से हटाकर अनुदान के मद में द०भ्रा० कृषि गो सेवा समिति की दी जाय ।

== == == ==

(काशी- 13-4-61)

पृ० न० 175

प्रस्ताव न० 29 :-

पीपरी केन्द्र का षाटा मंजूर

वर्धा के गौरस भंडार में 1959-60 साल में स्मर्या 38 हजार 9 सौ 71 स्मर्या 48 नये पेसे का षाटा आया था । उस षाटे की मंजूर करने से पहले वर्धा में गो सेवा के जो प्रयोग किए गए, उनके संबंध में जानकारी देकर आगे वर्धा के लिए क्या योजना सोची है, उसकी जानकारी प्रबंध समिति के सामने रखी जाय, ऐसा तय हुआ था ।

श्री राधाकृष्ण बजाज व श्री अण्णा सहस्रबुद्धे ने नुकसान किस कारण हुआ इसकी जानकारी दी। एक लिखित रिपोर्ट भी देने का आश्वासन दिया।

तय हुआ कि वर्धा गोरस भंडार का 1959-60 साल का खर्चा 38971=48 नो पैसे का घाटा मंजूर किया जाय।

== == == == ==

(प्रबंध समिति रजि० न० 5)

(आरामबाग- 23-4-63)

पृ० न० 104

प्रस्ताव न० 13 :- गो संवर्धन के प्रश्न

कृषि गो सेवा समिति द्वारा कुछ विचारणीय प्रश्न उठाये गये थे, जिनकी चर्चा प्रबंध समिति के साथ की गई।

प्रारंभ में श्री देबरभाई ने गोसंवर्धन के कार्य की प्रगति की जानकारी देते हुए कहा कि पिछले वर्ष दो प्रयोग किये गये :-

- (1) जम्बई की आरे कालोनी में केवल भैस का दूध निर्माण किया जाता है। गाय के दूध की संभावनाओं की जांच की दृष्टि से राठो जाती की 25 और गोर जाती की 25 इस तरह कुल 50 गायों प्रयोग के लिए कृषि गो सेवा समिति द्वारा दी गई। उसके परिणाम उत्साह-तर्क दिखाई दिये। इसलिये तीन महीनों के बाद उनकी मांग पर और 50 गायें दी गईं। महीनों के बाद इस प्रयोग के संबंध में मिल्क कमिश्नर का रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भैस की तुलना में गाय केवल दो फ्रीसदी फैंट परसेंट में कम पठती है। लेकिन एक लैक्टेशन पीरियड में दूध की मात्रा तथा प्रति लैर दूध निर्मित की खर्च देखाते हुए गाय भैस से बेहतर मालूम देती है। आरे कालोनी ने अब 500 गायों की मांग की है।

(2) बोकानेर क्षेत्र में । मार्च 1962 से दूध निर्मित का काम शुरू हुआ । शुरू में आठ मन दूध आता था । अब प्रतिदिन 200 मन दूध आ रहा है । लेकिन दूध के साथ वहाँ पर मिश्र फसल का उत्पादन और जल कटारों का सुदयोग शुरू किया गया है, जिससे गवाली की आमदनी दुगुनी हो गई है । इस तरह से कृषि ग्रामींदयोग और गोपालन तीनों साथ चलाने का प्रयोग शुरू किया है ।

श्री टेंबर भार्गव द्वारा उठाये गये कुछ नीति के प्रश्नों के सम्बन्ध में श्री विनोबाजी ने अपनी राय निम्न प्रकार दी :-

- (1) भारत में फी व्यक्ति साठे सात तीले दूध है । इस स्थिति में दूध के रूप में ही दूध का उपयोग करने की उल्लेखन दिया जाना चाहिये । फी व्यक्ति । पीठ दूधका निर्माण जब तक नहीं होता है तब तक मिठार्ह में दूध का उपयोग करना गुनाह मानना चाहिये ।
- (2) जहाँ से दूध इकट्ठा किया जाता है वहाँ के गवाली के बच्चों को दूध मिले इसलिये कुछ प्रमाण में उनके घर से दूध रखना आवश्यक किया है, यह नीतितो ठीक ही है । लेकिन जहाँ से दूध इकट्ठा किया जाता है, उस समूचे गाँव के बच्चों को भी पर्याप्त दूध या काह मिले इस ओर भी ध्यान देना चाहिए । ये एक ग्राम - योजना का विषय है ।
- (3) स्त्रिक्टिव ब्रीडिंग का विचार योष्य ही है । नदी और बैल में फर्क मानी ही गया है । इसलिये अच्छे नदी द्वारा ही संतति-निर्माण का काम होना चाहिए ।
- (4) क्रस ब्रीडिंग के लिये मेरा मानसिक विरोध नहीं है । सर्वांगी (इयुअलपरपर) नसल की बढावा मिले यह ध्यान में रखा जाय । इस सम्बन्ध में सायन्स जो कहेगा, उसके अनुसार किया जाय ।
- (5) कृत्रिम रेतन (आर्टीफिशल इनसेमिनेशन) के खिलाफ मेरी भावना आध्यात्मिक दृष्टि से है ।
- (6) गोवध बंदी के कानून के संबंध में कुछ लोगों की गलत धारणा रही है कि गांधीजी गोवध बंदी के कानून के खिलाफ थे ।

स्वराज्य के बाद भारत कानून से गोवधबंदी कर सकता है। इस आशा का गांधीजी का कथन श्री= किशोरलाल भाई मथुरवाला ने गांधीजीके लेखों पर से उद्धृत किया है। गोवध बंदी के कानून से मुसलमानों की धर्मभावना को ठेस पहुंचेगी, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, वह भी गलत है। कुरान में कहीं भी गोकुशी के लिए आधार नहीं है। इसलिए ऐसा कानून बनाना इस्लाम पर प्रहार नहीं समझा जायगा। गोवधबंदी के सम्बन्ध में सर्व सेवा संघ की अपनी नीति स्पष्ट करते हुए प्रस्ताव करना चाहिए।

भैस के हम लोग विरोधी तो नहीं है। जिस प्रदेश में या पहाड़ों आदि में गाय टिक नहीं सकती, लेकिन भैस टिक सकती है या जिन प्रदेशों में भैसी द्वारा बेती होती है, वहाँ भैस की जरूर उत्तेजन किया जाय।

== == == == == == == == ==

(आरामबाग- 23-4-63)

पृ० न० 106

प्रस्ताव न० 14 :- समिति का पुनर्गठन :-

कृषि गो-सेवा समिति का निम्न प्रकार पुनर्गठन किया गया

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| (1) श्री उच्चैंगराय नक्लशंकर टैब | (अध्यक्ष) |
| (2) श्री राधाकृष्ण बजाज | (उपाध्यक्ष) |
| (3) श्री नलिन मेहता | (मंत्री) |
| (4) श्री क्लवताराय देशपति | (मंत्री) |
| (5) श्री य०म०पारनेरकर | (मंत्री) |
| (6) श्री श्रीमन्नारायणजी | (सदस्य) |
| (7) श्री तखतमल जैन | (सदस्य) |
| (8) श्री मीरारजी देसाई | (सदस्य) |
| (9) श्री परमेश्वरी प्रसाद गुप्ता | (सदस्य) |
| (10) श्री जगन्लाल जीशी | (सदस्य) |

/37/

- (11) श्रीमती जानकी देवी बजाज (सदस्य)
- (12) श्री कमल नयन बजाज (सदस्य)
- (13) श्री धीरु भई (सदस्य)
- (14) श्री अण्णा साहब सहस्त्रबुध्द (सदस्य)
- (15) श्री अक्षयकुमार काण (सदस्य)
- (16) श्री सादार दातार सिंह (सदस्य)
- (17) श्री संत तुकडीजी महाराज (सदस्य)
- (18) श्री बाबुभाई जसभाई पटेल (सदस्य)
- (19) श्री मुकुन्दराय त्रिवेदी (सदस्य)
- (20) श्री शिवशंकर राव (सदस्य)
- (21) श्री दत्तात्रय मंजुनाथ बुरडे (सदस्य)
- (22) श्री गोकुलभाई भट्ट (सदस्य)
- (23) श्री गोपलराव वलुजकर (सदस्य)
- (24) श्री शांति प्रसादजी जैन (सदस्य)
- (25) श्री महेन्द्र मोहन चौधरी (सदस्य)
- (26) श्री ओमप्रकाश त्रिवा (सदस्य)
- (27) श्री बढीनारायणजी गाढीकिया (सदस्य)
- (28) श्री सेठ गोविन्ददासजी (सदस्य)
- (29) श्री जयन्तिलालजी मानकर (सदस्य)
- (30) श्री लोचन दासजी (सदस्य)
- (31) श्री धर्मचन्दजी सरावगी (सदस्य)
- (32) श्री वैद्यनाथ प्रसाद चौधरी (सदस्य)
- (33) श्री श्रीडेजी (सदस्य)
- (34) श्री कृष्णप्पाजी (सदस्य)
- (35) श्री राजासाहेब भट्टी (सदस्य)
- (36) श्री धर्मदेव शास्त्री (सदस्य)
- (37) श्री प्राणलाल भाई कापडिया (सदस्य)
- (38) श्री नवकृष्ण चौधरी (सदस्य)
- (39) श्री माधवन नैयर (सदस्य)
- (40) श्री शालिग्रामजी (सदस्य)
- (41) श्री दिल्ली से एक सदस्य (सदस्य)

- (42) श्री मोहनलालजी सुधाडिया (सदस्य)
- (43) श्री रामप्रसादजी खडिलवाल (सदस्य)
- (44) श्री कन्हैयालाल चौधरी (सदस्य)
- (45) श्री देवकीनन्दन नारायण (सदस्य)
- (46) श्री अध्यक्ष इन स्थानों की पूर्ति करेंगे।
- (47) श्री अध्यक्ष - छादी ग्रामीण्योग समिति
- (48) श्री मंत्री- छादी ग्रामीण्योग समिति
- (49) श्री अध्यक्ष- अ०भा० सर्व सेवा संघ
- (50) श्री मंत्री- अ०भा० सर्व सेवा संघ

== = = = =

समिति रजि० न० 6)

(मधुबनी - 15-1-67)

(पृ० न० 82-ब)

प्रस्ताव न० 11 :- गोवध बंदी आंदोलन

गोवध- बंदी आन्दोलन के सिलसिले में देश में अब तक जी घटनाएँ हुई उन पर गंभीरता से चर्चा की गयी । चर्चा के अंत में निम्न प्रस्ताव स्वीकृत किया गया :-

''भारत में संपूर्ण गोवध- हत्या की बंदी जारी की जाय इस प्रश्न-ओर को लेकर सर्वत्र जोर की आवाज उठी है । जगन्नाथपुरी के श्रीमत् जगद्गुरु शंकराचार्य और श्री प्रभुदत्त ब्रम्हचारी ने इस प्रश्न की लेकर पिछले 58 दिनों से अनशन जारी रखा है ।

भारत सरकार ने लोक-सभ. में जी आश्वासन दिया उतना पर्याप्त नहीं माना गया । सरकार ने इस प्रश्न का संगापांग विचार करने के लिए उच्चाधिकार समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है और जगद्गुरु की तथा ब्रम्हचारी जी की

अनशन समाप्त करने की विनती भी की ।

1970-71 / 186

भारत में गोवंश की हत्या न हो, यह भावना भारतीय संस्कृति के आधार पर स्थित है । भारत ने मानवितर प्राणियों में से विचारपूर्वक गाय को अपने परिवार में स्थान दिया है । इसलिए यह मानवीय संस्कृति का अगला बड़ा कदम है ।

इस सम्बन्ध में श्री विनीबाजी ने हनुमान प्रसादजी पीदहार की लिखे पत्र में, श्री जयप्रकाश नारायण ने श्रीमद् जगद्गुरु की लिखे पत्र में और श्री दादा धर्माधिकारी ने प्रधानमंत्री श्री इन्दिरा गांधी की लिखे पत्र में संपूर्ण गोवध-बंदी की पुष्टि है जो विचार और भावना व्यक्त की है, उसके साथ प्रबंध समिति पूर्णतः सहमत है ।

गोवंश में से बैल किसानों के लिए सबसे अधिक उपयोगी जावर होने के कारण उसकी उपेक्षा या अवहेलना अपेक्षाकृत कम होती है । इसलिए बैल की वृद्धावस्था में खिलाना आर्थिक दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ है । और गाय की वृद्धावस्था में खिलाने का संकल्प भारत के संविधान में निहित है ।

इसलिए सर्व सेवा संघ सरकार से विनती करता है कि उसे भारत में गोवंश हत्या की संपूर्ण - बंदी को बिना किसी द्विचक्राहत के तत्त्वतः मान्य कर लेना चाहिए और भारतीय लोकत का जो स्पष्ट दर्शन हुआ है, उसका आदर करना चाहिए ।

सर्व सेवा संघ श्रीमद् जगद्गुरु और श्री ब्रम्हचारीजी से भी सादर निवेदन करता है कि गोवध-बंदी के लिए उन्होंने अनशन करके भारत में अनुकूल वातावरण निर्माण किया है एवं देश में इस प्रश्न के प्रति जो भावना व्यक्त हुई है, उसकी देखाते हुए वे अब अपना अनशन अविलंब छोड़ने की कृपा करें ।

== == == == ==

(आबूरीड -5-6-68)

पृ० न० 146 / 158

प्रस्ताव न० 18 :- अ०भा० कृषि गो-सेवा संघ विधान

श्री राधाकृष्ण बजाज ने अ०भा० सर्व-स- कृषि गोसेवा संघ के नाम से स्वायत्त संस्था रजिस्टर्ड कराने के संबंध में कृषि गो सेवा संघ द्वारा स्वीकृत विधान का मसविदा पेश किया। विचार हीकर तय किया गया कि उक्त विचार के अनुसार अ०भा० कृषि गो सेवा संघ नाम से स्वायत्त संस्था रजिस्टर की जाय। इस संबंध में की कानूनी कार्यवाही प्रबंधक अं दृष्टी करें।

(पृष्ठ न० 158)

परिशिष्ट न० 4 :-

अखिल भारत कृषि गो-सेवा संघ-संविधान

- (1) नाम :- संस्था का नाम - "अखिल भारत गो-सेवा संघ" रहेगा।
- (2) कार्यालय :- इसका कार्यालय बम्बई रहेगा। आवश्यकतानुसार कार्यवाहक समिति उसमें परिवर्तन कर सकेगी।
- (3) उद्देश्य :- सत्य और अहिंसा के मार्ग से शोषण विहीन समाज की रचना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कृषि गो - सेवा को मध्य में रखते हुए महात्मा गांधी जी द्वारा बताये गये समस्त विधायक कार्यक्रमों की चलाना एवं उनके द्वारा ग्राम अर्थ रचना मजबूत करना।

=====

संगठन के नियम :-

- (1) सदस्यता :- जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, और जिन्हें संस्था का उद्देश्य मान्य हो, ऐसे किसी स्त्री-पुरुष की कार्यवाहक समिति की स्वीकृति से संघ का सदस्य बनाया जा सकेगा। संघ के सदस्य निम्न प्रकार होंगे। ये सारे ही साधारण सभा के सदस्य माने जावेंगे।

(1) आजीवन सदस्य - आजीवन सदस्य वे होंगे—(अ) जिन्होंने कम-से-कम दस साल तक गौ सेवा के क्षेत्र में सेवा प्रदान की हो एवं भविष्य में भी जो इसी गौ-सेवा के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हों, और (आ) संघ के रजिस्ट्री करने के समय जो प्रथम कार्यवाहक समिति के सदस्य हों ।

(2) मनीनीत एवं पदेन सदस्य :- मनीनीत एवं पदेन सदस्य निम्न

प्रकार होंगे :-

(अ) सर्व सेवा संघ द्वारा मनीनीत पांच प्रतिनिधि ।

(आ) स्टेट गौसर्वधन कौंसिलों द्वारा एक-एक प्रतिनिधि साधारण सभा के लिए मनीनीत किया जा सकेगा ।

(इ) अध्यक्ष द्वारा मनीनीत विशेषज्ञ आदिका प्रतिनिधित्व हो।

(ई) सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष, मंत्री व प्रबंध ट्रस्टी, तीनों पदेन सदस्य माने जावेंगे । कार्यवाहक समिति को अधिकार होगा कि वह अखिल भारतीय स्तर की किसी संस्था के एक या अधिक पदाधिकारियों को साधारण सभा के पदेन सदस्य बना लें ।

(3) संस्था सदस्य :- नीचेनुसार संस्थाएं सदस्य मानी जायेगी । इनके द्वारा मनीनीत प्रतिनिधि संस्था सदस्य कहेलायेंगे । हर संस्था साधारण सभा के लिए एक प्रतिनिधि भेज सकेगी । कार्यवाहक समिति को अधिकार होगा कि संस्था देहाकर प्रतिनिधियों की संख्या तीन तक बढ़ा दें ।

(अ) प्रदेशीय गौ सेवा संगठन जो वार्षिक ₹ 101/- चंदा दें ।

(आ) प्रदेशीय गौशाला फेडरेशन जो वार्षिक ₹ 101/- चंदा दें ।

(ई) गौ सेवा या अन्य विधायक कार्य करनेवाली संस्था जो वार्षिक ₹ 51/- चंदा दें ।

(4) साधारण सदस्य — नीचेनुसार साधारण सदस्य हो सकेगा ।

(अ) जो किसी प्रकार का गोव्रत रखते हों और सालाना ₹ 1/- चंदा दें । गोव्रत कितने प्रकार के माने जायें, इसका तपशील कार्यवाहक समिति तय करें ।

(आ) जिन्हें संघ का उद्देश्य मान्य हो और जो सालाना रुपया 11/- चंदा दें ।

(5) सहयोगी सदस्य जो गौ-सेवा में लक्षित रखते हैं एवं सालाना रुपया 101/- या अधिक आर्थिक सहायता देते हों वे सहयोगी सदस्य कहेलायेंगे।

2— संघ के प्रधान अंग :-

(1) साधारण सभा — संघ की साधारण सभा उपरोक्त تمام सदस्यों की मिलकर होगी। संघ के नीति-निर्वाहण का काम साधारण सभा का रहेगा। संचालन के लिए कार्यवाहक समिति रहेगी, जिसके अध्यक्ष का चुनाव साधारण सभा करेगी एवं कार्यवाहक समिति की नियुक्ति अध्यक्ष करेंगे। साधारण सभा की वार्षिक बैठक में संघ के कामकाज की रिपोर्ट, हिसाब एवं साधारण सुझावों के लिए आगामी बजट रखा जायेगा।

(2) कार्यवाहक समिति :— सभा के संचालन के लिए एक कार्यवाहक समिति रहेगी जिसमें कम-से-कम 11 एवं अधिकतम 25 तक सदस्य होंगे। संघ की सारी स्थावर जगम जायदाद इस समिति में निहित होगी। संचालन के पूरे अधिकार इस समिति को होंगे। संस्था का नीति निर्धारण साधारण सभा करेगी एवं संचालन, प्रबंध कारीबार की सारी जिम्मेवारी कार्यवाहक समिति की होगी।

कार्यवाहक समिति का गठन नीचे नुस्कार होगा :-

- (1) सर्व सेवा संघ द्वारा मनोनीत 5 सदस्य।
- (2) राज्य गौ सेवा संगठन एवं राज्य गौशाला फेंडरेशन के प्रतिनिधियों में से 7 तक प्रतिनिधि।
- (3) खादी ग्रामीणयोग कमीशन के 2 प्रतिनिधि।
- (4) पंचायत परिषद का 1 प्रतिनिधि।
- (5) संघ के प्रबंधक ट्रस्टी कार्यवाहक समिति के पदेन सदस्य होंगे।
- (6) आजीवन सेवक, संस्था सदस्य, सहयोगी सदस्य, प्रतधारी सदस्य एवं अन्य सदस्यों में से 10 तक प्रतिनिधि।

(3) कार्यकाल :-

साधारण सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षका होगा। आजीवन सदस्यों का कार्यकाल आजीवन होगा। प्रथम कार्यवाहक समिति एवं अध्यक्ष की नियुक्ति सर्व सेवा संघ करेगा। उसके दो वर्ष बाद हर वर्ष एक तिहाई सदस्य निवृत्त हुये उसी तरीके से पुर्ननियुक्त ही सकेंगे। पदाधिकारियों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।

(4) निर्णय :-

संस्था के विधान या नियमों में जो भी परिवर्तन करना हो, उसकी पूर्व सूचना देकर बुलाई गई कार्यवाहक समिति के सामने में उसकी पास कराना चाहिये । उसके बाद पूर्व सूचना देकर बुलाई गई साधारण सभा में पास होना आवश्यक होगा । इन बैठकों में कार्यवाहक समिति का कौरम आधे से एवं साधारण सभा का कौरम प्रन्द्ध प्रतिशत से कम न हो ।

(सीबीदेवरा - 5-6-68)

(पृष्ठ नं० 163)

प्रस्ताव नं० 2 आ :- कृ० गो०से० समिति पुनर्गठन :-

अखिल भारतीय कृषि गो सेवा संघ स्वतंत्र स्वायत्त संस्था के रूप में रजिस्टर किये जाने की कार्रवाई होने पर सर्व सेवा संघ की कृषि गो-सेवा समिति चल्न रहेगी । संघ के अध्यक्ष से निम्न 27 सदस्यों की नयी कार्यवाहक समिति का गठन षषित किया है :-

सर्व श्री (1) उ०न० टैबर अध्यक्ष, (2) श्री राधाकृष्ण बजाज, उपाध्यक्ष (3) रत्नूभाई अडणी, उपाध्यक्ष, (4) य०म०पारनेकर, मंत्री (5) नलिनभाई मेहता, मंत्री (6) मनमोहन चौधरी, सदस्य (7) जानकी देवी बजाज, - सदस्य (8) र०वरदन, सदस्य (9) करण भाई, (10) प्रणलाल भाई, सदस्य (11) सर दार दातारसिंह, सदस्य (12) मुकुंदभाई त्रिविदी, सदस्य (13) तुलसीदास भाई विश्राम सदस्य (14) जयन्तीलाल भाइ मानकर सदस्य (15) बुरडेजी, सदस्य (16) प्रेमभाई, सदस्य (17) मणिभाइ, सदस्य (18) गजाधर सीमाणी, सदस्य (19) पृतापभाई सरजी कलभदास सदस्य, (20) राजासाहब भट्टी (21) गुलजारीलाल नन्दा, सदस्य (22) राजासाहब भट्टी, सदस्य (23) धर्मचन्दसारावजी सदस्य (24) भक्तवत्सलम्, सदस्य (25) जयाबहन शाह, सदस्य (26) अखिल - अली सदस्य (27) प्रबन्धक द्रष्टी, सर्व सेवा संघ, स्थायी निर्माकतः सर्वश्री (1) लोचनदासजी (2) गोविन्ददास जी (3) तरु तमलजी जैन (4) श्रीमन्नारायणजी (5) पद्देगार (6) कमलनयन बजाज (7) देशपाण्डेयजी,